तारूण्य
TARUNYA

बाल विवाह को समाप्त करने एवं किशोर-किशोरी
सशक्तिकरण के लिए संचार और प्रशिक्षण सामग्रियों का पैकेज

new concept
Centre for
Development Communication

unicef
for every child

अभिस्वीकृति

तारुण्य पैकेज में विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठन और संस्थान जैसे बिहार सरकार, झारखंड सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, बीबीसी मीडिया एक्शन, ब्रेकथ्रू, कम्यूटीनी, पीएफआई, यूएनएफपीए, यूनीसेफ और एनसीसीडीसी आदि के संसाधनों को शामिल किया गया हैं।

यूनिसेफ इस पैकेज को संभव बनाने के लिए इन संगठनों और संस्थानों के योगदान और समर्थन को सराहता है।

तारूण्य
TARUNYA

बाल विवाह को समाप्त करने एवं किशोर-किशोरी
सशक्तिकरण के लिए संचार और प्रशिक्षण सामग्रियों का पैकेज

क्रियान्वयन दिशा-निर्देशिका

new concept
Centre for
Development Communication

unicef
for every child

विषय-वस्तु

संक्षिप्ताकार vi

दिशा-निर्देशिका का संयोजन और इसका उद्देश्य vii

1 संदर्भ और बदलाव को तीव्र करने की आवश्यकता 1

2 एक साथ मिलकर कार्य करना – प्रयासों को मजबूती देना 5

3 सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC) 12

4 *तारूण्य* पैकेज – सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार का एक शक्तिशाली साधन 20

5 हम-उम्र साथियों के साथ संवाद 31

6 अंतर-पीढ़ी संवाद 38

7 सामुदायिक लामबन्दी और जुड़ाव 44

8 *तारूण्य* पैकेज पर प्रशिक्षण 49

9 कार्य योजना विकसित करना 52

10 परिणामों की निगरानी (अनुश्रवण) 56

संलग्नक 59

© NCCDC

संक्षिप्ताकार

ए.ए.ए.	आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम.
ए.एच.डी.	किशोर–किशोरी स्वास्थ्य दिवस
ए.एम.बी.	अनिमिया मुक्त भारत
ए.एन.एम.	ऑक्ज़ीलियरी नर्स मिडवाईफ
ए.आर.एस.एच	किशोरावस्था प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य
ए.एस.एच.ए.	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
बी.बी.बी.पी.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बी.एस.जी.	भारत स्काऊट एंड गाइड
सी4डी	विकास के लिए संचार
सी.बी.ई.	समुदाय आधारित आयोजन
सी.बी.ओ.	समुदाय आधारित संगठन
सी.एम.	मुख्यमंत्री
सी.एच.एम.ओ.	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी
सी.एम.पी.ओ.	जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी
सी.एस.ओ.	सामाजिक संगठन
सी.एस.आर.	कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
डी.ए.वाई.	दीनदयाल अन्त्योदय योजना
डी.सी.	जिला कलेक्टर
डी.ई.ओ.	जिला शिक्षा अधिकारी
डी.एम.	जिला मजिस्ट्रेट
डी.आर.डी.ए.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी
एफ.एफ.एल.	जीवन के वास्तविक तथ्य
आई.सी.डी.एस.	समेकित बाल विकास सेवाएं
आई.सी.पी.एस.	समेकित बाल संरक्षण स्कीम
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा तथा संचार
एल.एस.	महिला पर्यवेक्षिका
एम.डी.एम.	मध्यान्ह भोजन
एम.एच.एफ.डब्ल्यू.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एम.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.डी.डब्ल्यू.एस.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एम.एल.ए.	विधान सभा सदस्य
एम.पी.	संसद सदस्य
एम.एस.डी.ई.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एम.एस.के.	महिला शक्ति केन्द्र
एम.डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एम.वाई.ए.एस.	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एन.आर.एल.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन
एन.एस.एस.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम
एन.वाई.के.एस.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन
पी.एम.के.वी.वाई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
डी.पी.ओ.	जिला कार्यक्रम अधिकारी
पी.एस.ए.	सार्वजनिक सेवा उद्घोषणा
आर.जी.एन.आई.वाई.डी.	युवा विकास हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान
आर.के.एस.के.	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
आर.वाई.एस.के.	राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम
एस.ए.जी.	किशोरी बालिकाओं के लिए स्कीम
एस.बी.सी.सी.	सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार
एस.बी.एम.	स्वच्छ भारत मिशन
एस.ई.एम.	सामाजिक पारिस्थितिकी मॉडल
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
यू–डी.आई.एस.ई.	शिक्षा हेतु जिला एकीकृत सूचना तंत्र
वी.एच.एस.एन.डी.	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस
डब्ल्यू.ए.एस.एच.	जल और स्वच्छता

दिशा-निर्देशिका का संयोजन और इसका उद्देश्य

दिशा–निर्देशिका का उद्देश्य : यह निर्देशिका विकास के लिए संचार (C4D) के नेटवर्क और साझेदारों को किशोर–किशोरी सशक्तिकरण तथा बाल विवाह की समाप्ति को लक्ष्य बनाकर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, जिले और राज्य स्तर पर सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC) पैकेज के प्रभावी इस्तेमाल और क्रियान्वयन में, सहायता देने के लिए तैयार की गई है।

किशोर–किशोरी सशक्तिकरण और बाल विवाह की समाप्ति के लिए एसबीसीसी पैकेज के बारे में दिशा–निर्देशिका से व्यापक समझ प्राप्त होगी – *तारुण्य* और इसके विषय–वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त होगी, जिसका क्रियान्वयन बाल विवाह की अधिक व्याप्ति वाले राज्यों में करना है। किशोर–किशोरी सशक्तिकरण का व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह दिशा–निर्देशिका विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करने के लिए मुख्य रणनीतियों और प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करती है और बाल विवाह की समाप्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अभिसरण के अवसरों की पहचान करती है। यह दिशा–निर्देशिका किशोर–किशोरी सशक्तिकरण और बाल विवाह की समाप्ति के लिए राज्यों में नियोजन, प्राथमिकीकरण और अनेक क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक क्रियान्वयन पद्धति की पहल के लिए एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में इस्तेमाल की जाएगी।

यह अपेक्षा की जाती है कि यह दिशा–निर्देशिका प्रयोगकर्ताओं को उच्च व्याप्ति वाले राज्यों में कम से कम 50 प्रतिशत जिलों में, किशोर–किशोरी सशक्तिकरण और बाल विवाह की समाप्ति के हस्तक्षेपों को बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन करने में सहायक होगी– ताकि यूनिसेफ के कन्ट्री प्रोग्राम 2018–2022 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके। इस बात का प्रयास किया जाएगा कि किशोर–किशोरी सशक्तिकरण से जुड़े सकारात्मक उदाहरण विकसित हों और जो परिवर्तनकारी बदलाव पर केन्द्रित हों।

दिशा–निर्देशिका का संयोजनः यह 11 भागों में विभाजित है, पहला अध्याय संदर्भ स्थापित करता है और यह बताता है कि बाल विवाह से जुड़े मापदण्डों एवं व्यवहारों, जो किशोर–किशोरी सशक्तिकरण का रास्ता बनाएंगे, को जल्दी बदलने की आवश्यकता क्यों है। अध्याय 2 और 3 में, बाल विवाह के संदर्भ में सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार की भूमिका और विभिन्न क्षेत्रों और हितधारकों के अभिसरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 4 से 7 तक सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार पैकेज तारुण्य तथा इसके विषय–वस्तु, सामग्री और संबंधित संदर्भ में उपयुक्त हितधारकों के साथ उनके प्रयोग की चर्चा की गई है। अध्याय 8 और 9 में क्रमशः तारुण्य पैकेज के प्रशिक्षण और सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा की गई है। अध्याय 10 में परिणामों का अनुश्रवण करने के तरीकों और सूचकों पर प्रकाश डाला गया है। अंत में योजना बनाने तथा परिणामों के अनुश्रवण के प्रारुप संलग्न किए गए है।

प्रयोग करने वालों के लिए टिप्पणीः सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन एक धीमी तथा चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। विशेषज्ञ, क्रियान्वयनकर्ता तथा सेवा प्रदाता जो बाल विवाह की समाप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें अक्सर परिवारों तथा समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वे पूरी लगन के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि बदलाव लाया जा सकता है। यह उनके ठोस प्रयासों का ही नतीजा है कि भारत में बाल विवाह की दर धीरे–धीरे कम हो रही है। आगे का मार्ग भी कठिनाईयों से भरा पड़ा है किन्तु हमें निराश नहीं होना है। दरअसल हमें बदलाव में तेजी लाने के लिए और कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ताकि भारत को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके। बदलाव में तेजी लाने के लिए, प्रयोगकर्ताओं हेतु *तारुण्य* पैकेज की सामग्रियों का सेट उपयोगी है। हम पूर्ण रुप से विश्वास करते हैं कि बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष करने और किशोर–किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए प्रयोगकर्ता इस पैकेज का भली–भांति इस्तेमाल करेंगे और अपने कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि लाएंगे।

संदर्भ और बदलाव को तीव्र करने की आवश्यकता

किशोरावस्था को अवसरों की उम्र कहा गया है। इस उम्र में बच्चों में बहुमुखी बदलाव होता है और वे एक युवा के रुप में विकसित होते हैं। भारत में 25.3 करोड़ किशोर–किशोरी निवास करते हैं।[1] इन किशोर–किशोरियों को भारत में बदलाव के दूत के रुप में वयस्क बनाने के लिए सतत् और समन्वित निवेश करने की आवश्यकता है। यद्यपि इस बदलाव में अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वैश्विक बदलाव, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, जनसंख्या संबंधी आंकड़ो में परिवर्तन और मानवीय संकट, किशोरावस्था के लिए एक ढुलमुल पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे एचआईवी/एड्स, शीघ्र गर्भधारण, असुरक्षित यौन संबंध, तनाव और चोटें, किशोर स्वास्थ्य, खुशहाली तथा जीवन के अवसर के लिए रोज का खतरा है। उनमें से अनेक हिंसा, प्रताड़ना तथा दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। इसके साथ ही साथ नई उत्पन्न होने वाली समस्याएं जिसमें मोटापे का बढ़ता स्तर, मानसिक स्वास्थ्य असंतुलन और उच्च बेरोजगारी[2], समस्या को और बढ़ा देती हैं। भारत में अधिकांश किशोर–किशोरी शैक्षिक समस्याओं का भी समाना करते हैं। उनमें से एक तिहाई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय या ऊंची कक्षाओं में अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते है[3]। उन्हें वयस्कों की तरह घर की आय में योगदान देने की जिम्मेदारी दे दी जाती है और जबरदस्ती कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है।

भारत में किशोर बालिकाएं विशेष रुप से कमजोर है क्योंकि उन्हें अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

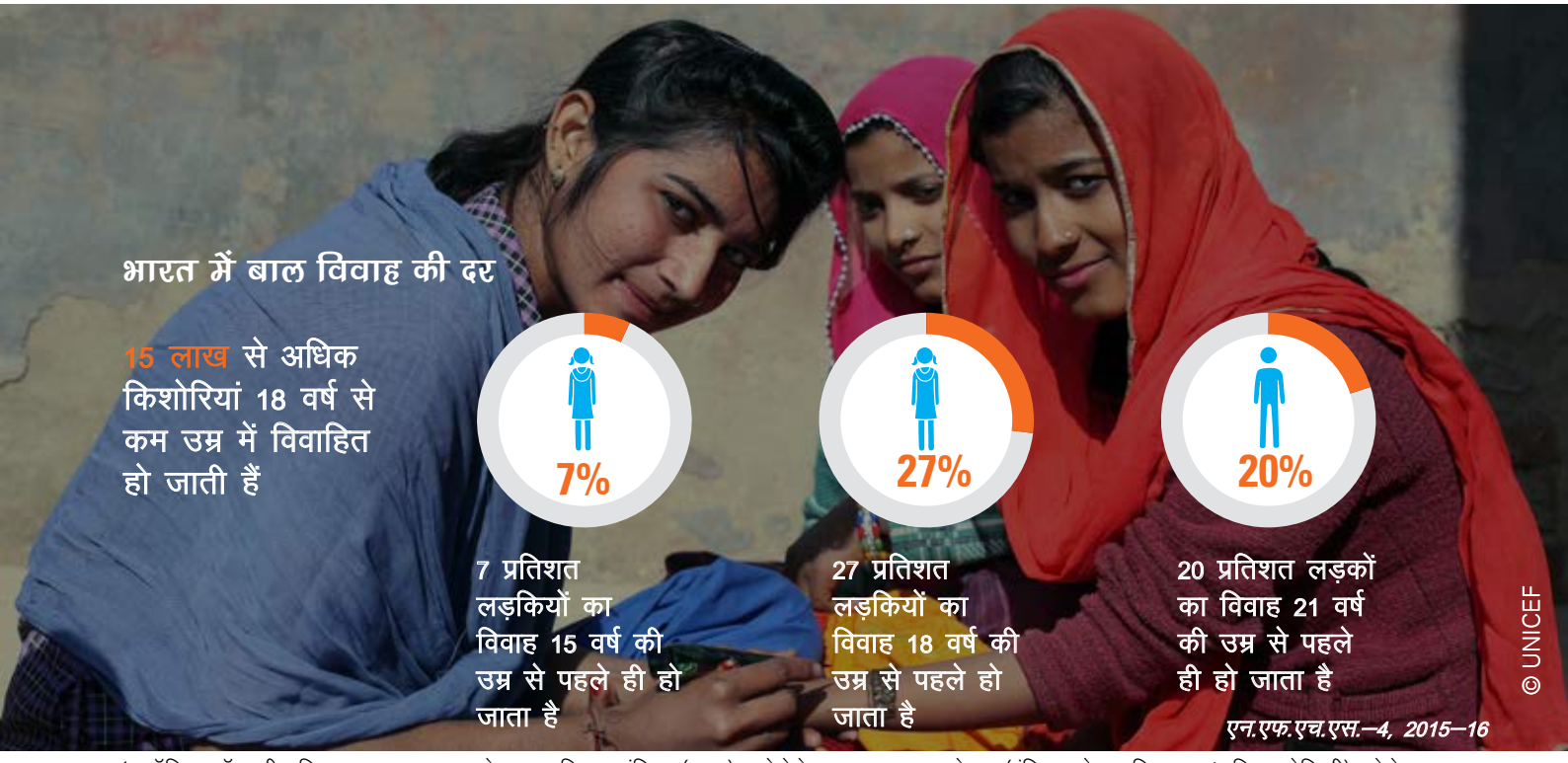

[1] ऑफिस ऑफ दी रजिस्ट्रार जनरल एण्ड सेन्सस कमिश्नर इंडिया (2001) एडोलेसेन्ट एण्ड यूथ पापूलेशन (इंडिया स्टेट्स डिस्ट्रक्ट/यूनियन टेरिटरी) एवेलेबल एट http://www.censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html

[2] https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/our-future/index.html

[3] मानव संसांधन विकास मंत्रालय (2016) एजूकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लास नई दिल्ली, भारत सरकार, एवेलेबल एट https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/ESG2016.pdf

उनकी प्रतिकूल परिस्थिति जन्म से पहले ही गर्भ में लिंग चयन के रूप में शुरू हो जाती है और पांच वर्ष की उम्र तक मृत्यु की अधिक संभावना (लड़कों की तुलना में) और बाल विवाह के रुप में जारी रहती है। यद्यपि बाल विवाह से लड़की तथा लड़का दोनों प्रभावित होते हैं किंतु लड़कियों पर इसके कुप्रभाव अधिक गंभीर हैं। लड़कियां जिनकी जल्दी शादी हो जाती है उनकी पढ़ाई छूट जाती है और उनके समयपूर्व गर्भधारण, मातृ मृत्यु तथा बीमारी और बच्चे के कुपोषण के दुष्चक्र में फंसने का जोखिम अधिक होता है। बाल विवाह के कारण किशोर–किशोरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक क्षमता विकसित करने तथा व्यक्तिगत विकास के अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

बाल विवाह किशोर-किशोरियों को निःशक्त बनाता है

भारत में बाल विवाह के विभिन्न कारक हैं जैसे लैंगिक भेदभाव और यह विश्वास कि लड़कियां, लड़कों से कमतर हैं। लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने में प्रचलित सामाजिक मापदण्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के कई राज्यों में माता–पिता, परिवारों और समुदायों का यह अटूट विश्वास है कि उनके बच्चों के लिए शीघ्र विवाह सबसे अच्छा विकल्प है। उनके लिए बाल विवाह के लाभ, बाल विवाह के दुष्परिणामों से ज्यादा है। माता–पिता समुदाय में बहुमत में

बाल विवाह के पक्ष में समुदाय के सामान्य विश्वास

- जैसे ही किशोरी का यौवनारम्भ (Puberty) हो जाए तो उसकी शुद्धता बचाने तथा परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए उसकी शादी कर देनी चाहिए।
- गरीब परिवार लड़की की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते।
- लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, आखिर उन्हें घर ही तो सम्भालना है इसलिए उनके लिए शादी ही एकमात्र विकल्प है
- कम उम्र में विवाह करने पर कम दहेज की मांग होती है

प्रचलित विश्वासों द्वारा प्रभावित होते हैं और इन मापदण्डों के अनुसार कार्य करते हैं।

ये मापदण्ड तथा विश्वास, जन्म के समय ही लड़कियों का विवाह तय कर देना या अट्टा–सट्टा दो परिवारों में विवाह के द्वारा दुल्हन की अदला–बदली, जैसी परंपरागत प्रथाओं के साथ मिलकर बाल विवाह में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार प्रचलित सामाजिक मापदण्डों, व्यवहारों और आदतों को व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर बदलना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि किशोर–किशोरियों को, खासकर किशोरियों को सक्षम बनाया जाए ताकि इन चुनौतियों का वे सामना और संचालन कर सकें।

बदलाव संभव और आवश्यक है

इस बात को साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि किशोरावस्था में जो व्यवहार शुरू होते हैं वे जीवन पर्यन्त व्यक्ति के स्वास्थ्य और खुशहाली को निर्धारित करते हैं[4]। इसलिए किशोरावस्था के दौरान व्यवहारिक बदलाव में निवेश करने से यह गरीबी, असमानता और लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है। किशोर–किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए हम–उम्र तथा अंतर–पीढ़ी संवाद और सामाजिक लामबन्दी के माध्यम से सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के समेकित प्रयास में यह क्षमता है कि वह बाल विवाह की रोकथाम के संबन्ध में जानकारी, मनोवृत्ति और व्यवहारों को बढ़ावा दे सकें। जैसे ही बाल विवाह से जुड़े प्रचलित मानदण्डों और विश्वासों में बदलाव आ जाएगा तब किशोर–किशोरी तथा उनके परिवार सही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे बाल विवाह को समाप्त करने के लिए समुदाय में प्रयासों को व्यापक रूप देने हेतु बदलाव के दूत (Change Agent) की भूमिका निभाएंगे। इस बदलाव में तेजी लाने के लिए प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, सामुदायिक और धार्मिक नेताओं, अध्यापकों तथा पंचायती राज संस्थाओं को अन्य लोगों के साथ लक्षित करते हुए सामुदायिक लामबन्दी के प्रयास कारगर होंगे।

किशोरावस्था में निवेश के लाभों के समेकन और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने हेतु यूनिसेफ, भारत सरकार के सहयोग से किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के लिए कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। वर्तमान कार्यक्रम चक्र में, यूनिसेफ, भारत सरकार की नीति के अनुसार ऐसी रणनीतियां अपनाने का प्रयास कर रहा है जिससे कवरेज बढ़े और अंतिम हाशिए पर खड़े किशोर–किशोरियों और उनके परिवारों तक पहुंचा जा सके। इसका यह भी लक्ष्य है कि देखरेख की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और अभिसरण और साझेदारी के द्वारा ऐसे हस्तक्षेप किए जाएं जिससे बाल अधिकारों को बढ़ावा मिले। साम्यता (Equity) जिसमें लैंगिक समानता भी शामिल है यूनिसेफ के नये कंट्री प्रोग्राम का अहम हिस्सा है।

किशोर–किशोरियों के लिए देशव्यापी बदलाव को गति देने के लिए यूनिसेफ का एक मुख्य परिणाम का क्षेत्र बाल विवाह की समाप्ति है। प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केन्द्र, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और किशोरियों के लिए योजनाएं (एस.ए.जी.) में व्यक्त मुख्य राष्ट्रीय प्राथमिकताएं ही कार्यक्रम की केन्द्र बिन्दु हैं। समग्र राष्ट्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य, साम्यता (Equity), लिंग और हानिकारक सामाजिक मापदण्ड जैसे

जटिल मुद्दों को संबोधित करना है, जो बाल विवाह और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे परिवारों के ज्ञान, कौशल और व्यवहारों में सुधार हो ताकि लड़कियों के जोखिमों में कमी आए जिसमें लैंगिक और जातिगत पक्षपात भी शामिल है जो सेवाओं तक पहुंच और प्रयोग को प्रभावित करता है। इस लक्ष्य की दिशा में छोटे पैमाने पर मुख्यतः क्षेत्र–विशेष हस्तक्षेपों की जगह पर मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों के आधार पर किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर जिला स्तर के मॉडल की और क्रमशः कदम बढ़ाये जा रहे है।

बदलाव में तेजी लाने के लिए रणनीतियां

यूनिसेफ ने बदलाव में तेजी लाने और किशोर–किशोरियों तथा उनके परिवारों के जीवन में सुधार लाने के लिए पांच प्रमुख रणनीतियां अपनाई हैं। आतंरिक रूप से सम्बद्ध इन रणनीतियों में शामिल है – किशोर–किशोरी सहभागिता, सामुदायिक जुड़ाव एवं लामबंदी, शिक्षा एवं जीवन कौशल विकास में सतत् निवेश; कौशल विकास, रोजगार, और उद्यमिता के अवसरों में सम्बद्धता और सामाजिक प्लस संरक्षण कार्यक्रम। यह रणनीतियां, अनुकूल सामाजिक, नीतिगत और वैधानिक वातावरण में कार्य करेंगी। इस वातावरण को बनाने के लिए किशोर–किशोरी अनुकूल नीतियों, तंत्रों, एवं सेवाओं का पर्याप्त क्रियान्वन; मीडिया के द्वारा पैरवी और हितधारक निर्माण; साझेदारी बनाना; और किशोरावस्था संबंधी आंकड़ों और सबूतों को इकठ्ठा करना, इन चार क्षत्रों की व्यापक रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में पहचान की गयी है। (देखें चित्रः 1)

[4] Sheehan P., Sweeny, K., Rasmussen, B., Wils, A., Friedman H., Mahon J., . . . Laski, L. (2017). Building the foundations for sustainable development: a case for global investment in the capabilities of adolescents.
Health Policy, 390, 10104, 1792-1806. Available at:https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_author_authors.html

चित्रः 1

बदलाव में तेजी लाने के लिए रणनीतियां

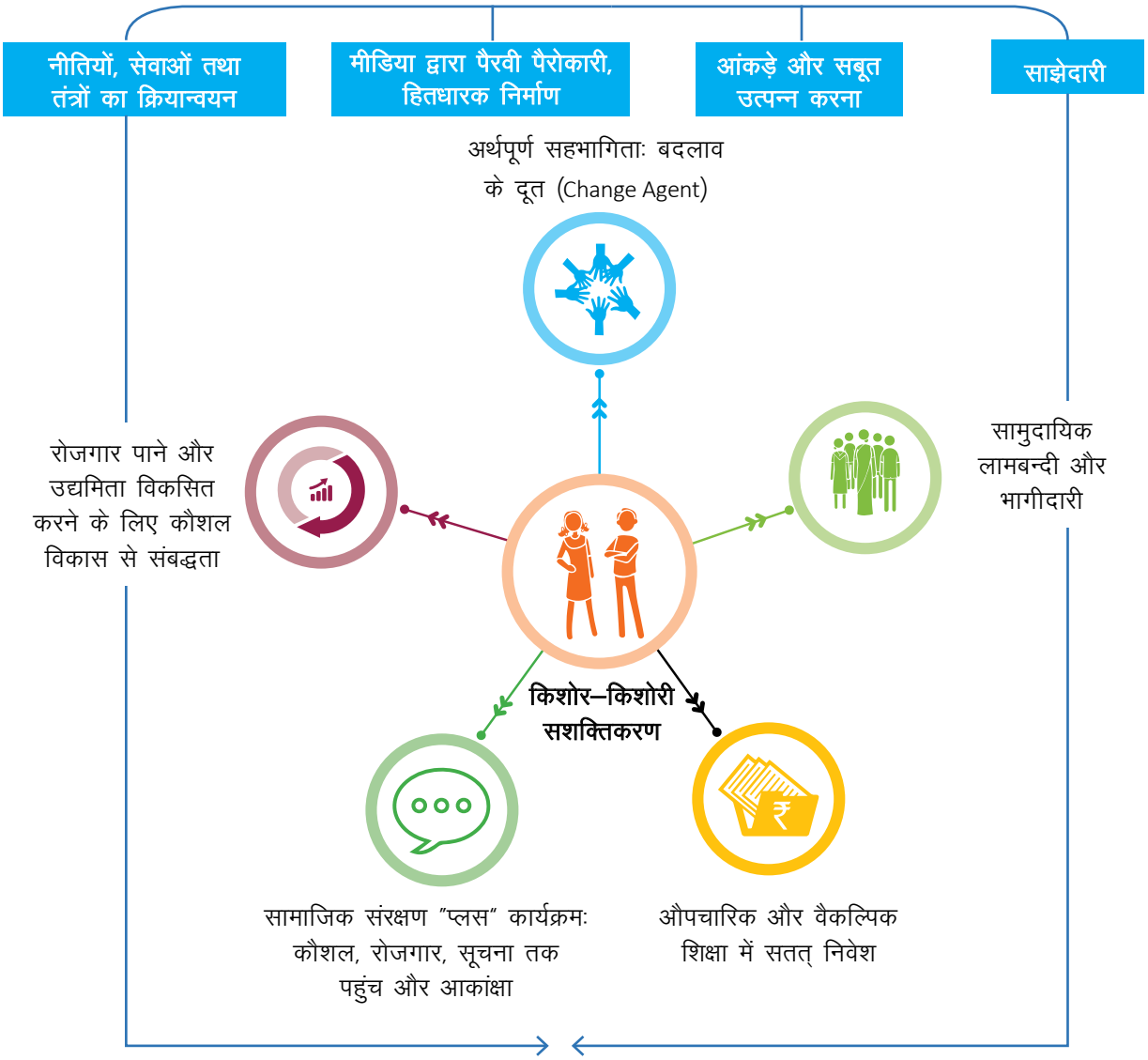

बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार, बदलाव में तेजी लाने के लिए ऊपर वर्णित रणनीतियों का एक अभिन्न अंग है और हर रणनीति से जुड़ा हुआ है। यूनिसेफ ने हम–उम्र साथियों, परिवार और समुदाय के स्तर पर संवाद की शुरूआत करने और कायम रखने पर जोर दिया है क्योंकि उन सामाजिक मापदण्डों और मनोवृत्तियों, जो बाल विवाह का समर्थन करते हैं और जिसके परिणामस्वरूप बाल अधिकार का उल्लंघन होता है, को बदलने का यह एक कारगर कदम है। सभी इस बात पर मजबूती से विश्वास करते है कि जब तक बाल विवाह से संबंधित एक सकारात्मक संवाद हर स्तर पर शुरू नहीं किया जाता तब तक व्यापक स्तर पर बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए इस बदलाव के लिए संवाद पहला कदम है। इसी वजह से यूनिसेफ ने सोच–समझकर *तारूण्य* पैकेज को डिजाईन और संकलित किया है। *तारूण्य* पैकेज में अनेक प्रकार की सामग्री हैं जो किशोर–किशोरी के सशक्तिकरण के मुद्दे पर हम–उम्र साथियों, अंतर–पीढ़ी तथा सामुदायिक संवाद को सुगम बनाते हैं। किशोर–किशोरी सशक्तिकरण में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार की भूमिका और *तारूण्य* पैकेज के संयोजन के बारे में अभ्यास 3 में विस्तार से वर्णन किया गया है।

2

एक साथ मिलकर कार्य करना - प्रयासों को मजबूती देना

किशोर–किशोरी सशक्तिकरण एक बहुस्तरीय प्रयास है जिसके लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की संमिलित कार्यवायी की आवश्यकता है। वर्तमान समय में किशोर–किशोरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम तथा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। यद्यपि इनके अच्छे परिणाम आ रहे हैं किन्तु इन प्रयासों में सक्रियता लाने और उनको मजबूती देने की आवश्यकता है ताकि समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति के लिए बदलाव में तेजी लायी जा सके।

विभिन्न स्तरों पर अभिसरण (Convergence)

महिला और बाल विकास मंत्रालय बाल विवाह की समाप्ति के लिए तकनीकी सहायता, समन्वय, अभिसरण और अनुश्रवण प्रयासों के लिए मुख्य बिन्दु है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय वह मुख्य मंत्रालय है, जो किशोर–किशोरियों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कौशल विकास। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय किशोर–किशोरियों के व्यक्तित्व विकास और नागरिकता निर्माण के लिए कार्य करता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत युवाओं को रोजगार प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सभी मंत्रालयों को, किशोर–किशोरियों के समग्र विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। (नीचे का चित्रः 2 देखें)

चित्रः 2

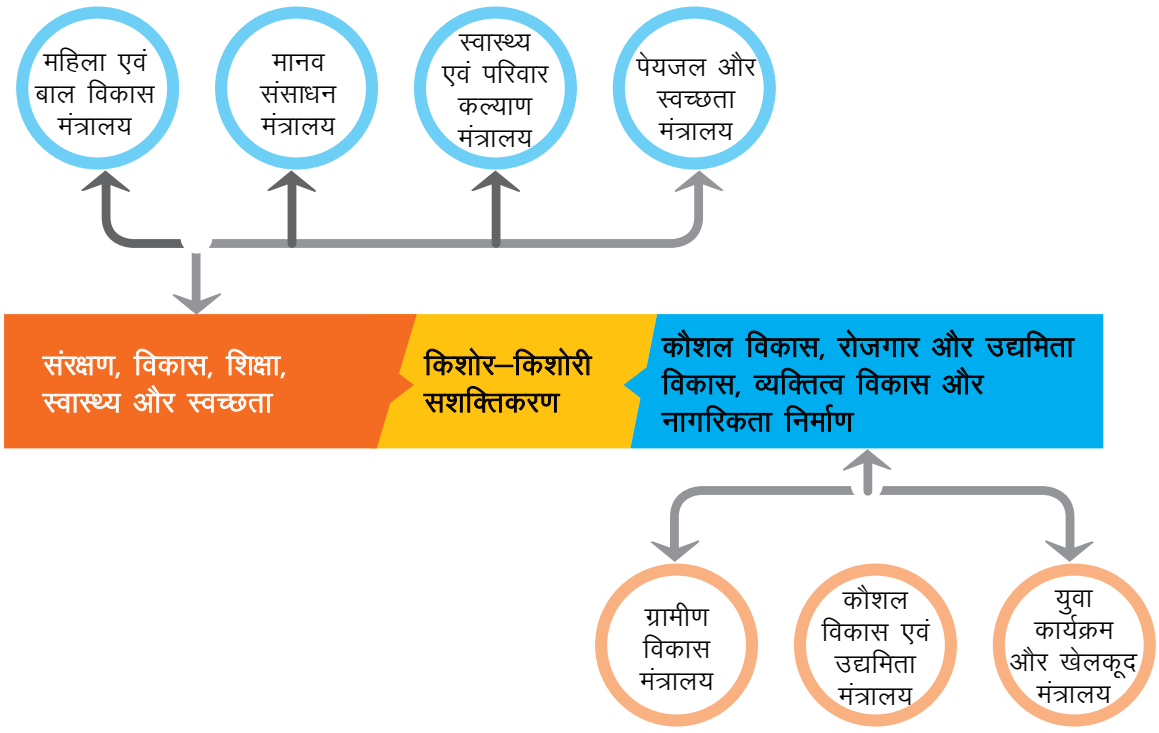

नीचे दी गयी तालिका मुख्य हितधारकों और राष्ट्रीय, राज्य, जिले और नीचे के स्तरों पर अभिसरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं स्कीमों से जुड़े मंचों को दर्शाती है:

तालिका: 1

मंत्रालय	योजनाएं	मुख्य केन्द्रित मुद्दा
एम.डब्ल्यू.सी.डी. नए समाज की ओर Towards a new dawn एम.एच.आर.डी. Government of India Ministry of Human Resource Development	समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS), किशोर लड़कियों के लिए स्कीम (SAG), समेकित बाल संरक्षण स्कीम (ICPS), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP), महिला शक्ति केन्द्र (MSK), समग्र शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन (MDM), शिक्षा हेतु जिला एकीकृत सूचना तंत्र (U-DISE), माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण स्कीम	किशोरावस्था पोषण, संरक्षण, शिक्षा, जीवन कौशल निर्माण और लैंगिक समानता
एम.एच.एफ.डब्ल्यू. Ministry of Health & Family Welfare Government of India	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK), एनीमिया मुक्त भारत (AMB), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	किशोर–किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य
एम.डी.डब्ल्यू.एस. Ministry of Drinking Water and Sanitation, Govt. of India	स्वच्छ भारत मिशन (SBM), और पेयजल और साफ सफाई (WASH)	
एम.एस.डी.ई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता विकास, व्यक्तित्व विकास और नागरिकता निर्माण
एम.वाई.ए.एस Ministry of Youth affairs and Sports	राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (RKSK), राष्ट्रीय सेवा स्कीम (NSS), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYSK), राजीव गांधी नेशनल इंस्टीटयूट फॉर यूथ डेवेलपमेंट (RGNIYD), भारत स्काऊट एंड गाइड (BSG)	
एम.आर.डी.	दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (DAY-NRLM)	

चित्रः 3

किशोर-किशोरी सशक्तिकरण और बाल विवाह की समाप्ति के लिए साझेदारियां

प्रभावी व्यक्ति, विचारक, मशहूर हस्तियां, मीडिया

प्राईवेट सेक्टर

शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संस्थाएं, जिसमें डेवेलपमेंट पार्टनर भी शामिल हैं

स्वयंसेवी और सामुदायिक समूह

चित्रः 4

बाल विवाह समाप्ति और किशोर सशक्तिकरण के लिए कार्यवाई की निरंतरता

बाल विवाह की समाप्ति एवं किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के हितधारक और मुख्य भूमिकाएं

मुख्य कार्य

किशोर–किशोरी सशक्तिकरण और बाल विवाह की समाप्ति की अत्यावश्यकता निर्धारित करें

- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय मंचो में किशोर–किशोरी के अधिकारों, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय, राज्य तथा समुदाय स्तर के आयोजनों में बाल विवाह की समाप्ति के लिए कार्यवाही की घोषणा।
- राष्ट्रीय युवा दिवस और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर पर लोकप्रिय बनाना।
- बाल विवाह की समाप्ति एवं किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के मुद्दों पर संवाद शुरू करने के लिए प्रभावी व्यक्तियों को मनोनीत करना।
- चुने हुए प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थानों से अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना।

राष्ट्रीय स्तर

महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय।

राज्य स्तर

महिला एवं बाल विकास विभाग (DWCD) अन्य संबंधित विभाग और विकास में साझेदार।

जिला स्तर

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (ICDS), जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (CHMO) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) और सामाजिक संस्थाएं (CSOs)

मुख्य कार्य

बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सही संदेश देने हेतु सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन का सतत् प्रयास

- संचार पैकेज तैयार करें और उसे अनुकूल बनायें।
- सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार पर क्रियान्वयनकर्ता, सेवा प्रदाता तथा प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें।
- बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरी के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक समान और उपयोगकर्ता–अनुकूल संदेश बनाये।
- सभी मंचों पर संदेशों को मजबूत करना और नियमित फॉलो–अप करना।

राष्ट्रीय स्तर

महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

राज्य स्तर

महिला एवं बाल विकास विभाग, अन्य संबंधित विभाग और विकास में साझेदार।

जिला स्तर

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPOs), जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) ICDS, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (CHMO), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) और सामाजिक संस्थाएं (CSOs)

मुख्य कार्य

यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न मीडिया मंच उपयुक्त तथा सुसंगत तरीके से इस्तेमाल किए जाएं

- रेडियो और टेलीविजन पर जनहित में जारी बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के विज्ञापनों/और संदेशों के अनिवार्य प्रसारण के लिए निश्चित एयर–टाइम निर्धारित करना।
- स्थानीय मीडिया सहित सभी मीडिया पर बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरियों के मुद्दों पर सर्वोच्च कवरेज (आच्छादन) करना।
- वस्तुनिष्ठ एवं संवेदनशील रिपोर्टिंग।

राष्ट्रीय स्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्य संबंधित मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।

राज्य स्तर

महिला एवं बाल विकास विभाग, अन्य संबंधित विभाग और राज्य मीडिया संस्थान और पत्रकार संघ/निकाय।

जिला स्तर

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, जिला सूचना अधिकारी और स्थानीय मीडिया।

मुख्य कार्य

निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को संगठित करें

- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर साझेदारी और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.)–नीत परियोजनाओं के जरिये किशोर–किशोरी सशक्तिकरण में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को शामिल करें।
- किशोर–किशोरियों के अधिकारों को बढ़ावा देने, और उनको शिक्षा, जीवन कौशल विकास और कौशल निर्माण के अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक संस्थाओं (सी.एस.ओ.) के साथ सहभागिता के अवसर का उपयोग करें।

राष्ट्रीय स्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्य संबंधित मंत्रालय तथा कार्पोरेट जगत, राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संगठन और संस्थान।

राज्य स्तर
महिला एवं बाल विकास विभाग, अन्य संबंधित विभाग, राज्य में उपस्थिति वाले कार्पोरेट्स और सामाजिक संस्थाएं।

जिला स्तर
जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, जिला सामाजिक संस्थाएं।

राष्ट्रीय प्रयासों के साथ–साथ राज्य की विशिष्ट योजनाओं का उन्नयन करना भी आवश्यक है। उदाहरण स्वरुप, बिहार राज्य के मामले में यह बिल्कुल उपयुक्त होगा कि शिक्षा और कौशल के संदेश विकास मित्रों के माध्यम से दिए जाएं और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाए। उत्तर प्रदेश के मामले में महिला सामाख्या मंच को समुदाय में बाल विवाह और किशोर–किशोरियों के मुद्दों पर जागरुकता लाने के लिए और सशक्त बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में कन्याश्री प्रकल्प एक सक्षम स्कीम है जो लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास और बाल विवाह की रोकथाम पर प्रभावी रुप से असर डाल रही है।

तालिका: 2

बाल विवाह की समाप्ति और किशोर-किशोरी सशक्तिकरण के लिए नोडल मंत्रालय और केन्द्र के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भूमिका

उत्तरदायित्व	राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर	जिला स्तर
नियोजन	प्रशासनिक कार्य और क्रियान्वयन संबंधी स्पष्ट दिशा–निर्देश सुनिश्चित करना	राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों के आधार पर राज्य के लिए योजना बनाना तथा उसका क्रियान्वयन करना	जिला कार्य योजना बनाना तथा उसका क्रियान्वयन करना
अभिसरण	राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अभिसरण के लिए संबंधित मंत्रालयों से सहयोग तथा तालमेल बनाना	सरकारी मंचों का इस्तेमाल करते हुए किशोर–किशोरी सशक्तिकरण की गतिविधियों के लिए संबंधित विभागों का अभिसरण	जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर द्वारा सभी संबंधित विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं को संगठित करना
निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना	गैर सरकारी निकायों, संगठनों तथा संस्थाओं के साथ साझेदारी	राज्य स्तरीय निकायों, संगठनों तथा संस्थाओं के साथ साझेदारी	सामाजिक संस्थाओं तथा जिला स्तर पर संस्थानों के साथ सहयोग
सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार पैकेज, सामग्री और उपकरण	संवाद तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए सामग्री/संसाधन विकसित करना	राज्य की भाषा या स्थानीय भाषा में उपकरणों या सामग्री का अनुवाद या आवश्यकतानुसार बदलाव	सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री/उपकरणों का प्रभावी प्रयोग
क्षमता विकास	मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण	राज्य स्तरीय हितधारकों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण	जिला स्तरीय हितधारकों के साथ–साथ अधिकारियों तथा प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
अनुश्रवण	राष्ट्रीय स्तर पर अनुश्रवण, आकलन और रिपोर्टिंग	राज्य स्तर पर अनुश्रवण, आकलन और रिपोर्टिंग	जिला स्तर पर गतिविधियों का अनुश्रवण और रिपोर्टिंग

सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए संसाधनों का इष्टतम इस्तेमाल

अभिसरण के साथ ही साथ सीमित वित्तीय एवं मानव संसाधनों का इष्टतम इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल विकास की सेवाओं तक किशोर–किशोरियों की पहुंच सुनिश्चित हो सके।

वित्तीय संसाधन

बाल विवाह की समाप्ति एवं किशोर–किशोरी से संबंधित केन्द्रित संदेश देने और संवाद की शुरूआत करने के लिए वित्त की व्यवस्था करना–

- विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत उपलब्ध सूचना, शिक्षा तथा संचार के बजट का प्रभावी तरीके से प्रयोग करना।
- विकास में साझेदारों द्वारा वित्तीय सहयोग से सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियों में सहायता करना।
- निजी और कार्पोरेट क्षेत्र से वित्त एकत्र करना।

चित्रः 5

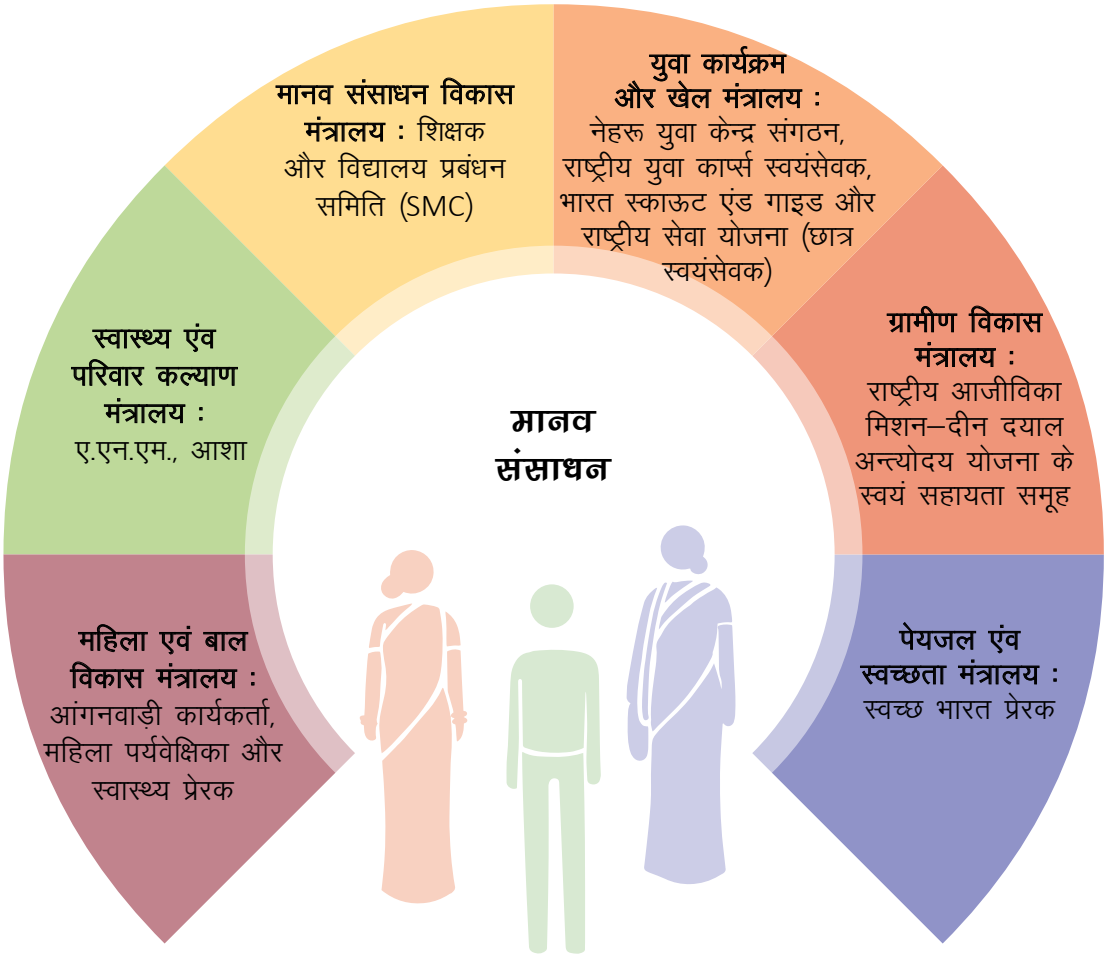

चित्रः 6

फोरम

किशोर–किशोरी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर इस्तेमाल किए जाने योग्य फोरमों में शामिल हैं:

व्यक्तिगत

सत्र और संवाद जिनके द्वारा संचालित होगा

प्रभावशाली लोग

स्थानीय नेता, धार्मिक नेता, सामाजिक–सांस्कृतिक नेता और पंचायत प्रतिनिधि

प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता

स्वच्छताग्राही, महिला पर्यवेक्षिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, ए.एन.एम., आशा, शिक्षक

विद्यालय

विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय में बच्चों की बाल संसद और समिति

समुदाय

समुदाय आधारित कार्यक्रम (CBE), ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND), ग्राम बाल संरक्षण समिति, किशोरावस्था स्वास्थ्य दिवस (AHD), एन.एस.एस., नेहरू युवा केन्द्र संगठन, स्काऊट एंड गाइड, कोऑपरेटिव, सामुदायिक मीडिया जैसे नुक्कड़ नाटक, लोक कला, ड्रामा, नृत्य और कथा वाचन।

सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC)

3

बाल विवाह को समाप्त करने की सामाजिक और राजनैतिक इच्छा शक्ति इस समय, पहले से बहुत अधिक है। उच्च व्याप्ति वाले राज्यों में कार्य करने के यूनिसेफ के पूर्व के अनुभवों से यह संकेत मिला है कि यद्यपि हमारा उद्देश्य बाल विवाह की समाप्ति है, परन्तु केवल इसी एक विषय पर पूरा ध्यान केन्द्रित करने की अपनी सीमायें है, क्योंकि ऐसा करने से किशोर–किशोरियों के समग्र विकास को हम सम्पूर्ण महत्व नहीं दे पायेंगे। इसलिए जरूरी है कि बाल विवाह समाप्ति के उद्देश्य को किशोर–किशोरी के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों से जोड़ा जाये जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, रोजगार, और हिंसा एवं भेदभाव से मुक्ति। ऐसा करने के लिए किशोर–किशोरियों के मुद्दों को कार्यक्रम एजेंडा, नियोजन और बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना होगा।

अनेक सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक कारक जैसे सामाजिक मापदण्ड, बाल विवाह को जारी रखे हुए है। इन अंतर्निहित कारकों को संबोधित करना ही होगा। इसके साथ ही साथ परिवारों और समुदायों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए सक्षम बनाना; किशोर–किशोरियों को सशक्त बनाना ताकि वे अपने चुने हुए रास्ते पर चल सकें और सेवा प्रदायगी तंत्र को सुदृढ़ बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बाल विवाह से संघर्ष करने तथा किशोर–किशोरियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बदलाव व्यक्तिगत, पारिवारिक, समुदाय तथा सेवा–प्रदायी तंत्र के स्तर पर आवश्यक है।

© UNICEF

इस संदर्भ में, बाल विवाह को समर्थन देने वाले विद्यमान विचारों, दृष्टिकोणों और मापदण्डों को बदलने में सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार एक अभिन्न भूमिका निभा सकता है। ऐसे दृष्टिकोणों और आदतों को बदलने और जानकारी तथा कौशल बढ़ाने के लिए संवादात्मक एस.बी.सी.सी. पद्धति और मिश्रित संचार माध्यमों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिससे सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने तथा सतत् जारी रखने के लिए प्रेरित किया जाए। सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के द्वारा व्यक्तियों और समूहों को सहभागी प्रक्रियाओं में शामिल करके उपयुक्त जानकारी और प्रेरणा दी जा सकती है जिससे उसकी आवश्यकताएं स्पष्ट हों। उनके अधिकारों की मांग हो ताकि व्यापक स्तर पर बदलाव आए जिसमें सामाजिक मापदण्ड और संरचनात्मक विषमता भी शामिल हों। बाल विवाह का अंत करने के लिए इस तरह के बड़े पैमाने पर बदलाव लाना अनिवार्य है। इसलिए यूनिसेफ सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार पर जोर दे रहा है ताकि किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के बदलाव को तीव्र किया जा सके।

व्यवहार परिवर्तन संचार का सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल (SEM)

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए यूनिसेफ ने एक सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल अपनाया है। सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल हर स्तर के किशोर–किशोरी को प्रभावित करते हैं जिसके फलस्वरुप उनमें सकारात्मक बदलाव आता है। इस प्रकार से यह व्यक्तिगत स्तर पर किशोर–किशोरी, अंतर्वैयक्तिक स्तर या माइक्रो स्तर पर परिवार तथा मित्र, मेसो स्तर पर समुदाय, एक्सो स्तर पर प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता तथा संगठन और मैक्रो स्तर पर नीति एवं कार्यक्रम लक्षित करता हैं। इन प्रत्येक स्तरों के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन रणनीतियों को प्रभावित करने वालों को दी गई भूमिका और जुड़ाव के अनुसार अनुकूलित की गई हैं। (नीचे दिए गए चित्रः 7 को देखें)।

चित्र: 7

किशोर–किशोरी और उन पर प्रभाव डालने वाले

सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल के आधार पर समुदाय में सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार की तीन स्तरों पर जरूरत है:

- किशोर–किशोरियों के साथ हम–उम्र साथियों का संवाद
- परिवारों के साथ अंतर–पीढ़ी संवाद
- समुदाय के प्रभावशाली लोगों को लामबंद करना

इसके अतिरिक्त को नीति और कार्यक्रम स्तर पर पैरवी और क्षेत्र निर्माण की आवश्यकता है

किशोर-किशोरियों के मुख्य व्यवहारों को बढ़ावा देना

सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार की प्रक्रिया का लक्ष्य है बालिकाओं के महत्व/मूल्यों का निर्माण करना और किशोर–किशोरियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना जहां वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। इसका लक्ष्य है, सभी को बराबर अवसरों की प्राप्ति और सकारात्मक मर्दानगी को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता तथा भेदभाव को समाप्त करना। सकारात्मक मर्दानगी की अवधारणा अनिवार्य रूप से पुरुषों और किशोरों को शामिल करती है जिन्होंने ऐसे व्यवहारों एवं विश्वासों को अपनाया है जिसमें स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए जिनमें लड़कियां तथा महिलाएं शामिल हैं, सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। इसके अलावा इसका लक्ष्य लोगों के ज्ञान, मनोवृत्ति और अभ्यासों को प्रभावित करने के साथ–साथ ऐसे सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना भी है जिससे सामाजिक मापदण्डों में बदलाव आए ताकि बाल विवाह की रोकथाम हो सके।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किशोर–किशोरियों के निम्नलिखित व्यवहारों को बढ़ावा देना होगा। उद्देश्य यह है कि किशोर–किशोरी इन व्यवहारों को अपनाए जिससे कि वे बाल विवाह कि लिए मना करने में सक्षम हों और विकल्पों का खुद चयन करें।

चित्रः 8

सभी किशोर-किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा प्राप्त हो

स्वास्थ्य और पोषण

किशोरावस्था गर्भावस्था

किशोरावस्था में गर्भधारण की रोकथाम के लिए

- ऐसे गर्भनिरोधक साधनों के बारे में जानकारी रखें जिससे गर्भधारण से बचा जा सकता है
- विवाह के बाद पहले गर्भधारण में देरी की सकारात्मक सोच रखें।
- विवाहित दम्पति कम उम्र में गर्भधारण के दुष्परिणामों की जानकारी रखें।
- विवाहित दंपति स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सेवाएं लेते हैं

किशोरावस्था एनीमिया

अनीमिया से बचाव के लिए पोषणयुक्त आहार पाने का प्रयास करना

- पर्याप्त आहार एवं आहार की विभिन्नता के महत्व को जानना
- साप्ताहिक ब्लू आयरन तथा फॉलिक एसिड की सम्पूरक खुराक तथा वर्ष में दो बार कृमि नाशक खुराक के बारे में जाने जिससे अनीमिया से बचाव होगा।
- विवाहित किशोरियां–गर्भवती और धात्री माताएं पर्याप्त विविधतापूर्ण आहार लें तथा सूक्ष्म पोषक तत्व (आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम, कृमि नाशक), की खुराक लें और आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें।
- स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्राप्त करें।

स्वच्छता

माहवारी में स्वच्छता प्रबंधन

माहवारी का प्रबंधन

- माहवारी के दौरान स्वच्छता के महत्व को जानें
- माहवारी के बारे में निसंकोच बात करें तथा चर्चा करें
- माहवारी के प्रबंधन के लिए स्वच्छ उत्पाद अपनाने तथा निजी स्थान के लिए मांग करें
- पर्यावरण अनुकूल तरीके से माहवारी में इस्तेमाल कपड़े/पैड के निस्तारण के बारे में जानें
- लैंगिक भेदभाव, असमानता और बहिष्कार को समर्थन देने वाली भ्रांतियों तथा गलत धारणाओं को जाने।
- यह माने कि माहवारी के दौरान लड़की के कहीं आने–जाने और आहार पर पाबंदी लगाना गलत है
- माहवारी के दौरान मानसिक असहजता, दर्द, शारीरिक तकलीफ के बारे में किसी प्रशिक्षित व्यक्ति जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता या ए.एन.एम. से चर्चा करें ताकि उसका कोई समाधान निकले।

शिक्षा एवं कौशल विकास

शिक्षा और कौशल तक पहुंच

पढ़ाई जारी रखने और पूरी करने के लिए बात करना

- लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में परिवार जानते हैं, स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं
- सभी किशोर लड़कियां गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा पूरी करती हैं
- यह जाने कि अपने पांव पर खड़े होने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा जरूरी है।
- स्कूल में तथा स्कूल आते जाते समय उत्पीड़न में कमी आए।
- अपनी पसंद और अपने जीवन की आकांक्षा को जानें और व्यक्त करें
- कौशल विकास के महत्व को जाने और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच बनाए रखें

अधिकारों का संरक्षण

बाल विवाह की समाप्ति

बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए

- माता–पिता लड़के और लड़कियों को सुरक्षा देते हैं और बराबर की जरूरतों, अधिकारों एवं हकों की पूर्ति करते हैं।
- सभी किशोर–किशोरी, उनके माता–पिता और समुदाय के सदस्यों को बाल विवाह के दृष्परिणामों की जानकारी है खास तौर से लड़कियों के बारे में
- विवाह की कानूनी उम्र, बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों, संबंधित अधिनियमों/कानूनो की जानकारी रखें।
- विभिन्न संरक्षण स्कीमों (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ; महिला सुरक्षा कार्यक्रम; राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम; किशोरियों के लिए स्कीम) के बारे में जानें, जो लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में मददगार है।
- बाल विवाह के दुष्परिणामों को तथा इसे रोकने में अपनी भूमिका को जाने।
- चोट/हिंसा (जिसमें लिंग के आधार पर की जाने वाली हिंसा शामिल है) को जाने और इसकी रोकथाम करें।

सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से किशोर–किशोरी के मुख्य व्यवहारों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समूहों के बीच बढ़ावा देना

ऊपर लिखित किशोर–किशोरियों के सभी मुख्य व्यवहारों को संबंधित हितधारकों, जिनकी भूमिका बाल विवाह को समाप्त करने में है, को शामिल करते हुए बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये समूह नीचे इंगित किए गए हैं (नीचे चित्रः 9 देखें)।

व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया

एक जटिल परंपरा होने के नाते बाल विवाह की रोकथाम और समाप्ति के लिए व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया सहज नहीं है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसे निरंतर जारी तथा कायम रखना होगा। हितधारकों को निरंतर संवाद और संदेश देने में शामिल रखना होगा।

चित्रः 9

प्राथमिक समूह
वे लोग जिनमें वांछित बदलाव की आवश्यकता हैं।

- 10 से 19 वर्ष के किशोर–किशोरी
- माता–पिता और परिवार (चाचा, चाची, बड़े भाई बहन आदि)

द्वितीयक समूह
वे लोग जो प्राथमिक प्रतिभागियों को प्रभावित करते हैं।

- शिक्षक
- प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता (आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम.)
- सामुदायिक नेता, जाति के नेता
- धार्मिक नेता, पंचायत प्रतिनिधि
- स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, दुग्ध और डेरी फेडरेशन
- सामुदायिक ढांचा, ग्राम सभा
- बाल संरक्षण समितियां

तृतीयक समूह
वे लोग जो किशोर–किशोरी के लिए सामुदायिक स्थितियां तथा सामाजिक वातावरण को सहायक बनाते हैं।

- जिला स्तर पर डी.एम., सी.एम.पी.ओ., जिला बाल संरक्षण समिति, पुलिस, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, मीडिया, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थाएं
- राज्य स्तरीय विभाग–शिक्षा, डी.डब्ल्यू.सी.डी., युवा मामले, मीडिया, मुख्यमंत्री, एम.एल.ए., पुलिस, एम.पी., विशेष व्यक्ति, धार्मिक निकाय, संगठन

किशोर–किशोरियों के मुख्य व्यवहारों के संबंध में इन हितधारकों को शामिल करते हुए निम्नलिखित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया की रूप–रेखा बनाई गई है (नीचे चित्रः 10 देखें)।

इसमें सार्वजनिक राय का निर्माण तथा जागरूकता बढ़ाना और लोगों में बदलाव की इच्छा जागृत करने के लिए ज्ञान और कौशल विकसित करना शामिल है। इस इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचलित मापदण्डों, मनोवृत्तियों, बोधों और अभ्यासों को संबोधित करने की आवश्यकता होगी ताकि लोग नए व्यवहार को आजमाएं और पुराने व्यवहारों को बदल दें। इसके आगे भी उन्हें सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि वे इस व्यवहार को जारी रखें और कायम रखें। इन प्रत्येक चरणों पर बदलाव की प्रक्रिया से व्यक्ति को बाहर होने (DROP OUT) से रोकने के लिए नियमित संवाद और प्रेरणा जरूरी है, इसमें और अधिक जानकारी देना, कौशल निर्माण और सेवाओं तथा तंत्रों से संबद्ध करना शामिल हो सकता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया हम–उम्र साथियों, अंतर–पीढ़ी और समुदाय स्तर पर होनी आवश्यक है।

उपयुक्त एसबीसीसी प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक समूहों के स्तर पर व्यवहार के बाद प्रमुख किशोर व्यवहार को बढ़ावा देने की आवश्कयता है।

चित्रः 10

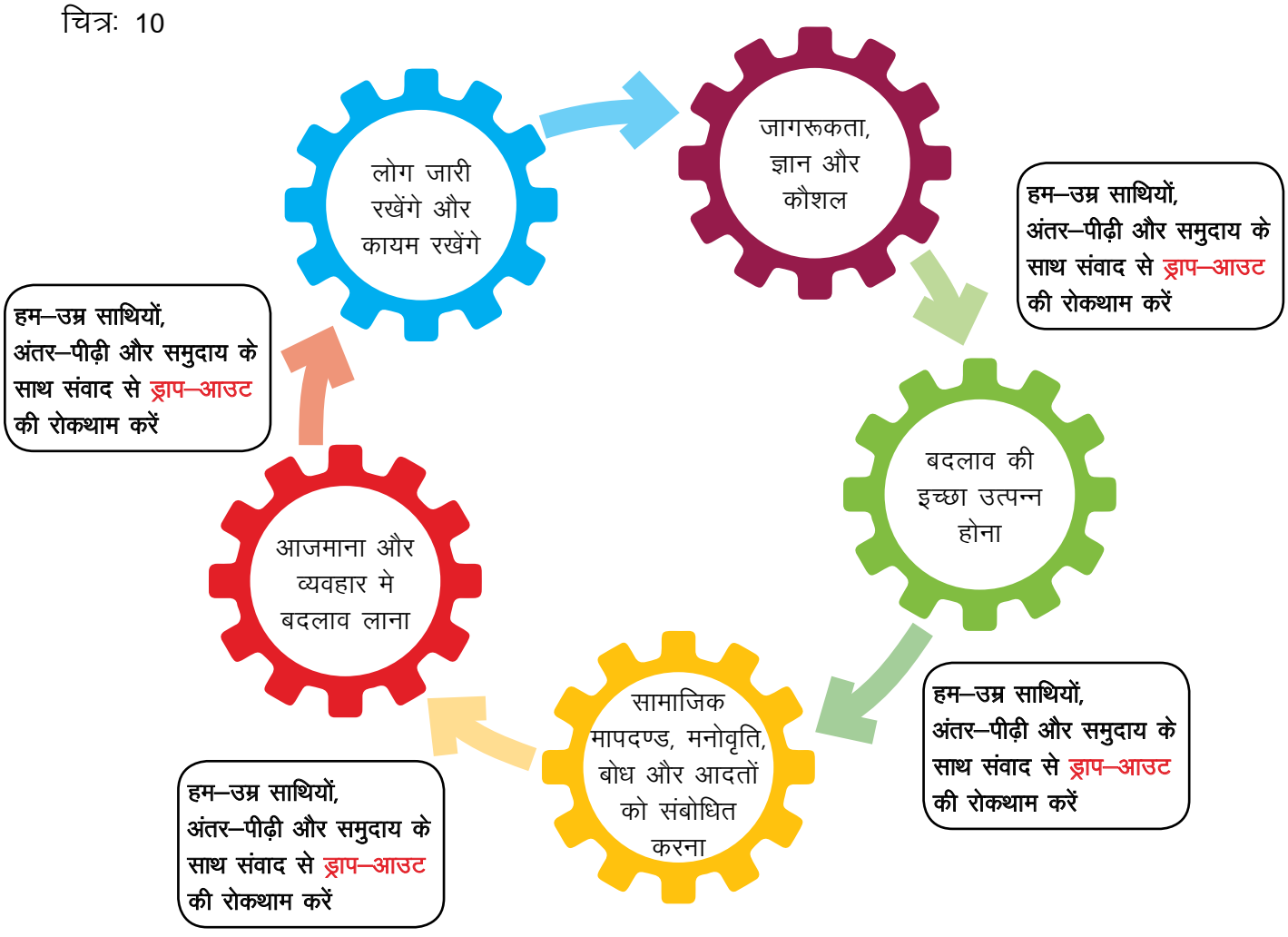

चित्रः 11

1. सार्वजनिक राय निर्मित करना और ज्ञान तथा जागरूकता बढ़ाना

प्राथमिक समूह (माता–पिता, किशोर–किशोरी तथा उनका वृहद् परिवार)

- यह समझें कि लड़के और लड़कियों की जरुरतें, अधिकार और हक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- बाल विवाह के दुष्परिणामों और खास तौर से लड़कियों पर पड़ने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानें।
- विवाह की कानूनी उम्र और बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों या अन्य संबंधित अधिनियमों या कानूनों के बारे मे जानें।
- शिक्षा के महत्व और फायदों को जाने।
- विभिन्न सामाजिक संरक्षण स्कीमों (बीबीबीपी, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोरियों के लिए स्कीम, आदि) के बारे में जानें जिससे लड़कियों की शिक्षा जारी रखने, विवाह में देरी करने, उन्हें अपनी आकांक्षा को पहचानने के लिए सक्षम बनाने तथा स्वावलंबी तथा सशक्त बनाने में सहायता मिलती है।

द्वितीयक समूह

- प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बाल विवाह से होने वाले नुकसानों की जानकारी है, खासतौर से लड़कियों के लिए और उन्हें बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों और इसकी रोकथाम में अपनी भूमिका की जानकारी है।
- आम जनता/समुदाय के प्रभावी लोगों/जाति के नेताओं/धार्मिक नेताओं/पंचायत प्रतिनिधियों/स्वयं सहायता समूहों/किशोरी समूहों को यह जानकारी है कि बाल विवाह के क्या दुष्परिणाम हैं खास तौर से लड़कियों के लिए और वे बाल विवाह की रोकथाम कैसे कर सकते हैं।
- समुदाय के प्रभावी लोग/नेता बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को सामाजिक बुराई समझते हैं और इसे समाप्त करने में अपनी भूमिका को जानते हैं।
- किशोर–किशोरियों (खासकर किशोरियों) के स्कूल छोड़ने और बाल विवाह की रोकथाम के लिए शिक्षक अपनी भूमिका के बारे में जागरूक हैं।

तृतीयक समूह

- मीडिया बाल विवाह से जुड़े मुद्दे और उन पर की जा रही पहल के बारे में संवेदित और जागरूक है और इसके बारे में रिर्पोटिंग में अपनी भूमिका को पहचानती है।
- पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण समिति बाल विवाह के बारे में कानूनी प्रावधानों तथा इसकी रोकथाम में अपनी भूमिका को जानती है।
- नीतिनिर्धारक/क्रियान्वयन करने वाले बाल विवाह से जुड़े मुख्य क्षेत्रों/मुद्दों को जानते हैं जिसमें स्कूल, कार्य कौशल और रोजगारपरक विकल्प शामिल है जिससे किशोर–किशोरियों की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदला जा सके।
- संगठन और व्यक्तिगत रूप से प्रभाव डालने वाले– स्थानीय विशिष्ट लोगों, रेडियो संचालन करने वाले लोगों को बाल विवाह की रोकथाम के बारे में बातचीत करने और किशोर–किशोरियों की आकांक्षाओं को समर्थन देने की जानकारी है ताकि किशोर–किशोरियों की काबिलियत को बढ़ाया जा सके।

2. सामाजिक मापदण्डों, मनोवृत्ति, बोध और आदतों को संबोधित करना

प्राथमिक समूह

लड़कियों के अधिकारों एवं हकों के प्रति सकारात्मक रवैया, खासकर किशारियों के लिए।

किशोरियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक रवैया और लड़कियों को स्वावलंबी बनने तथा आर्थिक रूप से सशक्त होने और बाल विवाह में देरी करने का विकल्प देना।

बाल विवाह के प्रति नकारात्मक सोच।

किशोर–किशोरियों की शिक्षा, स्कूल के आगे कार्य करने के कौशल विकसित करने और रोजगार के लिए सहायता देने वाली सरकारी सामाजिक सरंक्षण स्कीमों की जानकारी प्राप्त करने तथा इन स्कीमों का लाभ उठाने की चाहत।

द्वितीयक समूह

प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ए.एन.एम. एवं बाल सरंक्षण समिति, बाल विवाह की रोकथाम के लिए सक्रियता से कदम उठाने के इच्छुक हैं।

स्वयं सहायता समूह और किशोरी समूह संगठित है और इतने सशक्त हैं कि बाल अधिकारों के उल्लंघन और विशेष रूप से बाल विवाह की निगरानी कर सकें और उनका समाधान निकाल सकें।

सामान्य नागरिक/समुदाय के प्रभावी लोग/जाति के अगुआ/धार्मिक नेता/पंचायत प्रतिनिधि बाल विवाह तथा दहेज प्रथा जैसे मुद्दों पर सक्रिय रूप से कदम उठाने के लिए इच्छुक हैं।

किशोर–किशोरियों का स्कूल में नामांकन तथा शिक्षा जारी रखने और बाल विवाह की रोकथाम के लिए शिक्षक सक्रिय रुप से कदम उठाने के लिए इच्छुक हैं।

तृतीयक समूह

पुलिस बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण समिति बाल विवाह की रोकथाम के लिए निषेध/निरोध लागू करने तथा कानूनों का पालन करने की गतिविधियां करने के लिए तैयार हैं।

मीडिया मुद्दे के महत्व को जानती है और बाल विवाह से जुड़ी खबरों की रिर्पोटिंग में अधिक रुचि दिखाती है।

नीति निर्धारक/क्रियान्वयन करने वाले, किशोर–किशोरी के मुद्दे जिसमें बाल विवाह भी शामिल है, की समीक्षा के लिए चर्चा करने और सार्वजनिक परिचर्चा में सक्रियता से हिस्सा लेते है।

अन्य प्रभाव डालने वाले व्यक्ति जिसमें सेलिब्रिटी पंचायत सदस्य, युवा नेता आदि शामिल हैं, भागीदार रहते हैं और शुरू में विरोध का सामना करने के बावजूद हानिकारक मापदण्डों के ख़िलाफ़ प्रश्न चिन्ह खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं।

3. अभ्यास/व्यवहार कायम रखना

प्राथमिक समूह

माता–पिता तथा वृहद् परिवार यह सुनिश्चित करते हैं कि लड़के और लड़कियों को देखरेख और अवसर मिले ताकि उनकी पूरी क्षमता विकसित हो सके।

लड़के और लड़कियां अपनी शिक्षा जारी रखें और अपनी तथा अपने हम–उम्र साथियों/सहेलियों के विवाह का सक्रियता से विरोध करें।

माता–पिता और परिवार बाल विवाह के विरूद्ध सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं तथा किशोर–किशोरियों (खासकर किशोरियों) को स्कूल जाने और कोई विकल्प चुनने में मदद देते हैं।

किशोर–किशोरी की शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए माता–पिता, सामाजिक संरक्षण स्कीमों का अधिक प्रयोग करते हैं।

आम जनता/समुदाय के प्रभावी लोग/जाति के अगुआ/धार्मिक नेता/पंचायत सदस्य, बाल विवाह को रोकने तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं।

द्वितीयक समूह

प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे– आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., बाल संरक्षण समिति, बाल विवाह को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं

स्वयं सहायता समूह और किशोरी समूह संगठित है और इतने सशक्त हैं कि बाल अधिकारों के उल्लंघन और विशेष रूप से बाल विवाह की निगरानी कर सकें और उनका समाधान निकाल सकें।

किशोर–किशोरियों (खास कर किशोरियों) के नामांकन और शिक्षा जारी रखने और स्वावलंबी तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनने की उनकी आकांक्षाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं

तृतीयक समूह

पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी और जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य बाल विवाह की रोकथाम के लिए सक्रियता से गतिविधियां आयोजित करने के लिए कदम उठाते हैं।

नीति–निर्धारक तथा क्रियान्वयन करने वाले लोग बाल विवाह संबंधित कानूनों में आवश्यकता अनुसार सुधार करते है और उनका सख्ती से पालन करते है।

बाल विवाह की रोकथाम या समाप्ति के कारणों को मीडिया अधिक बढ़ावा देती है तथा मुद्दे को महत्व देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाती है और रिर्पोटिंग करती है।

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के लिए तारूण्य पैकेज

किशोर–किशोरियों के रणनीतिक सशक्तिकरण के लिए तारुण्य पैकेज में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री और संसाधन है। प्रयोगकर्ताओं तथा कार्यक्रम क्रियान्वयनकर्ताओं को अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन में मदद देने के उद्देश्य से यह पैकेज तैयार किया गया है। इसकी रूपरेखा किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के द्वारा बाल विवाह की समाप्ति के लिए यूनिसेफ के सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल के ढांचे और प्रक्रियाओं पर आधारित है। प्रयोगकर्ताओं को इसके द्वारा किशोर–किशोरियों के व्यवहारों के सम्बंध में, हम–उम्र साथियों, अंतर पीढ़ी तथा सामुदायिक संवाद की पहल करने के लिए, अनेक प्रकार की सामग्री उपलब्ध होगी।

तारुण्य पैकेज - सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार का एक शक्तिशाली साधन

4

तारुण्य पैकेज, किशोर–किशोरियों के मुद्दों पर सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए सोच/समझकर तैयार किए एवं जांचे परखे अनेक उत्पादों एवं सामग्रियों को एक साथ प्रस्तुत करता है। यह विभिन्न उत्पादों को जो केन्द्र या राज्य स्तरों पर बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के लिए तैयार किए गए हैं, को संकलित करता है। किशोर–किशोरी के मुद्दों को पूरी तरह से आच्छादित करते हुए यह पैकेज एक ऐसे संसाधन के रूप में कार्य करता है जिसे प्रयोगकर्ता सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के हस्तक्षेपों के भिन्न संदर्भों तथा भिन्न लक्ष्य समूहों के साथ क्रियान्वित कर सकते हैं।

आऊटरीच गतिविधियों का सुगमीकरण और अनेक स्तरों को शामिल करना

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार में सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल शामिल करने से प्रयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन करने के लिए किस तरह बहुस्तरीय संवाद की पहल करने तथा उसे कायम रखने की आवश्यकता है। तारुण्य एक अनोखा संसाधन है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के एस.बी.सी.सी. सामग्रियों में सामन्जस्य स्थापित करता है और इन्हें अलग–अलग या एक साथ प्रयोग किया जा सकता है ताकि लक्षित समूहों के साथ लगातार और प्रभावी संवाद स्थापित किया जा सके। यह पैकेज सामग्रियों को इस प्रकार एक सूत्र में बांधता है जिससे एक साथ कई संबंधित मुद्दों या कई हितधारकों के साथ तथा कई तरीकों से इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए यह बाल विवाह पर विभिन्न सामग्रियों का केवल संकलन मात्र ही नहीं है बल्कि एक रणनीतिक संसाधन है जो बहु–माध्यम संचार के द्वारा किशोर–किशोरियों के जीवन में दीर्घकालीन बदलाव लाएगा। पैकेज की विषय–वस्तु नीचे दिए गए लक्षित समूहों के साथ सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार करने पर केन्द्रित है:

- **किशोर–किशोरियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर हम–उम्र साथियों के द्वारा:** हम–उम्र साथियों द्वारा संवाद के जरिए किशोर–किशोरियों से सीधे बातचीत की जा सकती है जिससे उन्हें जागरूक किया जा सकता है और उनके ज्ञान तथा कौशल को निखारा जा सकता है, ऐसा करने से किशोर–किशोरियों की जानी–अनजानी जरूरतों, उनकी चिंताओं और समस्याओं, तथा उनकी आकांक्षाओं और सपनों को उजागर करने में मदद मिलती है। अपने हम–उम्र साथी के साथ संवाद का मंच मिलने पर उन्हें अपनी समस्या खुलकर बताने, विचारों का आदान–प्रदान करने तथा एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है, और वे रचनात्मक समाधान निकाल पाते हैं।
- **परिवारों तथा संबंधियों के साथ अंतर–पीढ़ी संवाद के जरिए संचार:** किशोर–किशोरियों के अधिकारों तथा आकांक्षाओं के बारे में, परिवारों, रिश्तेदारों के साथ संवाद जरूरी है। ऐसा करने से उनकी सोच में बदलाव आएगा जिससे किशोर–किशोरियों को परिवार में एक सहयोगी वातावरण मिलेगा। परिवारों को मंच पर लाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किशोर–किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े अधिकार उन्हें प्राप्त हो सकें। उन्हें जल्दी शादी करने के लिए दबाव न दिया जाए ताकि वे अपने चुने हुए मार्ग पर चल सकें और उनकी एक पहचान बने। जानकार और सशक्त परिवार प्रचलित मापदण्डों के विरूद्ध जा सकते हैं और सामाजिक दबाव की परवाह न करते हुए वह ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जो उनके बच्चों के लिए उपयुक्त हो।
- **सामाजिक लामबंदी के द्वारा सामुदायिक संवाद:** सामाजिक मापदण्डों और असमानता वाले सामाजिक ढांचे में बदलाव तभी लाया जा सकता है जब समुदाय सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो। समुदाय के साथ संवाद आवश्यक है ताकि वह यह जान सके कि बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव की प्रचलित प्रथाएं बच्चों का बचपन नष्ट कर रही हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। एक बार जब वे बाल विवाह को नकार देंगे तब बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव होगा। किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के एक सहयोगी वातावरण बनाने के लिए सहायक तंत्र बनाने में उनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पैकेज की सामग्री

इस पैकेज में 50 से अधिक सामग्री शामिल है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर, समूह स्तर पर तथा जनसंचार के लिए छपने वाले (PRINT), ऑडियो (AUDIO), ऑडियो विजुअल दृश्य (AUDIO VISUAL), सामग्री शामिल है। इन सामग्रियों को भारत सरकार, जैसे पी.एच.एफ.आई. (PHFI), आई.सी. आर.डब्लयू (ICRW), ब्रेक थ्रू (BREAKTHROUGH) आदि जैसी संस्थाएं जो किशोर–किशोरियों के मुद्दों पर कार्य कर रहें हैं, यूनिसेफ और राज्य सरकारों ने विकसित किया है। प्रयोगकर्ता अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्र तथा राज्य स्तर पर विकसित सामग्री का अनुकूलन कर सकते हैं।

सामग्रियों को समझने में आसानी के लिए, पैकेज की सामग्रियों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

चित्र: 12

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकसित सामग्रियों को लक्षित समूहों की विशिष्ट संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए टिप्पणी

प्रयोगकर्ताओं को पैकेज की सामग्रियों को अलग–अलग नहीं देखना चाहिए बल्कि एक पैकेज के रूप में देखना चाहिए जिन्हें अलग–अलग दर्शकों/श्रोताओं के लिए अलग–अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह किसी एक मुद्दे को प्रभावी तरीके से संबोधित करने के लिए सामग्रियों तथा विधियों को संयोजित तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। पैकेज में कई उपकरण ऐसे हैं जो प्रयोगकर्ता के यह समझने के लिए बनाए गए है कि किशोर–किशोरियों से जुड़े हुए मुद्दों की अवधारणा क्या है और उनके साथ किस प्रकार कार्य किया जाए। यह उपकरण प्रयोगकर्ताओं के ज्ञान और क्षमतावर्द्धन के लिए हैं और किसी विशेष लक्ष्य समूह के साथ प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे। पैकेज का इस्तेमाल करते हुए प्रयोगकर्ता नीचे दिए गए 'क्या करें' और 'क्या न करें' का संदर्भ ले सकते हैं:

क्या ✓ करें

- अच्छी तरह से योजना बनाएं और एसबीसीसी के लिए एक रणनीतिक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं
- परिवर्तन में तेजी लाने की रणनीतियों को समझें और उनके साथ अपने एसबीसीसी हस्तक्षेपों का तलमेल बनाएं
- वैचारिक स्पष्टता, ज्ञान और कौशल को मजबूत करने के लिए टूलकिट को अच्छी तरह से पढ़ें
- किस सामग्री का कैसे, कब, किसके साथ और किस उद्देश्य के साथ उपयोग किया जाना चाहिए यह जानने के लिए कार्यान्वयन दिशा–निर्देशिका का उपयोग करें
- जहां तक संभव हो नई सामग्री को अपनाने के बजाय पहले की सामग्री को सुधार कर अपनाएं
- सत्रों को प्रभावी और परिणामकारक बनाने के लिए सामग्रियों का सम्मिलित प्रयोग करें
- सुनिश्चित करें कि साझेदारी के माध्यम से प्रमुख संदेश सभी प्लेटफार्मों पर बार–बार संचारित किए जाते रहें।
- क्षमता निर्माण, परामर्श और हैंडहोल्डिंग के लिए साझेदार गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/सामाजिक संगठनों को सहयोग दें
- उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एस.बी.सी.सी. हस्तक्षेपों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में यथार्थवादी बनें, अनेक गतिविधियां करने के बजाय कुछ चुनी हुई गतिविधियां अच्छी तरह से करें।

क्या ✗ न करें

- अल्पकालिक, एक बार करने वाली गतिविधियों की योजना बनाना
- ऐसे हस्तक्षेपों को लें जो बदलाव में तेजी लाने की रणनीतियों के साथ तालमेल न रखते हों
- पैकेज के संदेशों तथा विषय–वस्तु को यह मानकर बदल दें कि अनुकूलन करना अच्छा है।
- प्रत्येक सामग्री का अकेले एक इकाई के रूप में उपयोग करना।
- अकेले कार्य करने की कोशिश करना।
- तब तक गैर सरकारी संस्थाओं या सामाजिक संस्थाओं को सीधे क्रियान्वयन में न लगाना जब तक वे सरकारी हस्तक्षेपों से सीधें जुड़े न हों या सहायता न कर रहे हों।

तालिका: 3

तालिका 1: तरूण पैकेज की सामग्री

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	राष्ट्रीय / राज्य	भाषा	माध्यम	प्रकार	विषय	कहां उपयोग करें	लक्षित समुदाय	किसके द्वारा विकसित
प्रिंट सामग्री									
1.	एडवोकेसी किटः ए गाइड टू इन्फ्लुएंस डिसिज़न दैट इम्प्रूव चिल्ड्रेन्स लाइव्स	राष्ट्रीय	अंग्रेजी	प्रिंट	बुकलेट	पैरवी, बाल विवाह और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण	पैरवी	नीति निर्माता, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता और संस्थाएं	यूनिसेफ
2.	एडवोकेसी किटः गाइडेंस ऑन हाउ टू अड्वोकेट फॉर अ मोर एनएब्लिंग एनवायरनमेंट फॉर सिविल सोसाइटी इन योर कॉन्टेक्स्ट	राष्ट्रीय	अंग्रेजी	प्रिंट	बुकलेट	पैरवी, बाल विवाह और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण	पैरवी	सामाजिक संस्थाएं	यूनिसेफ
3.	गाइडेंस नोट ऑन इंटर जनरेशनल एप्रोच टू डेवलपमेंट	राष्ट्रीय	अंग्रेजी	प्रिंट	मार्गदर्शिका	किशोर–किशोरी सशक्तिकरण	अंतर–पीढ़ी संवाद	नीति निर्माता, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता और संस्थाएं	यूनिसेफ
4.	पॉजिटिव पेरेंटिंग फॉर स्ट्रेंथनिंग अडोलेसेंट एम्पावरमेंट इनिशिएटिव	राष्ट्रीय	अंग्रेजी	प्रिंट	मार्गदर्शिका	किशोर–किशोरी सशक्तिकरण	अंतर–पीढ़ी संवाद		यूनिसेफ
5.	अडोलेसेंट एम्पावरमेंट टूलकिट	राष्ट्रीय	अंग्रेजी	प्रिंट	टूल किट	किशोर–किशोरी सशक्तिकरण	पैरवी		यूनिसेफ और ब्रेकथ्रु
6.	बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण	राष्ट्रीय	अंग्रेजी	प्रिंट	लीफलेट	बाल विवाह और किशोरी गर्भधारण	पैरवी	नीति निर्माता, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता और संस्थाएं	यूनिसेफ

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	राष्ट्रीय / राज्य	भाषा	माध्यम	प्रकार	विषय	कहां उपयोग करें	लक्षित समुदाय	किसके द्वारा विकसित
ऑडियो–विजुअल									
7.	आधा–फुल ओमनीबस	राष्ट्रीय	हिंदी	ऑडियो–विजुअल	प्रिंट वीडियो, कॉमिक एक्टिविटी पुस्तिका	स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, किशोर अधिकार, बालिकाओं का महत्व, बाल विवाह और किशोर सशक्तिकरण	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	किशोर–किशोरी, माता–पिता और परिवार, समुदाय	यूनिसेफ
8.	राजस्थान– बाल विवाह को समाप्त करने के लिए पैकेज	राज्य– राजस्थान	हिंदी	ऑडियो–विजुअल और प्रिंट	एनिमेटेड फिल्में और स्थिति कार्ड	बाल विवाह	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	माता–पिता और परिवार	यूनिसेफ
9.	बिहार– बाल विवाह को समाप्त करने के लिए पैकेज	राज्य– बिहार	हिंदी	ऑडियो–विजुअल और प्रिंट	एनिमेटेड फिल्में और स्थिति कार्ड, रेडियो पी. एस.ए.	दहेज, बाल विवाह और शिक्षा का महत्व	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	माता–पिता और परिवार, समुदाय	यूनिसेफ
10.	मध्य प्रदेश– बाल विवाह को समाप्त करने के लिए पैकेज	राज्य– मध्य प्रदेश	हिंदी	ऑडियो–विजुअल और प्रिंट	एनिमेटेड फिल्में और फ्लिप बुक	बाल विवाह, और बाल अधिकार	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	माता–पिता और परिवार, समुदाय	यूनिसेफ
11.	अम्मा जी कहती है फिल्म (फैक्ट फॉर लाइफ – जीवन के संदेश)	राष्ट्रीय	हिंदी	ऑडियो–विजुअल	विडियो	स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, किशोर–किशोरी अधिकार, जेंडर, बाल विवाह और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक संवाद एवं जुड़ाव	किशोर–किशोरी, माता–पिता और परिवार, समुदाय	यूनिसेफ

12.	आधा–फुल ओमनीबस	राष्ट्रीय	हिंदी	ऑडियो–विजुअल एवं प्रिंट	वीडियो, कॉमिक एक्टिविटी पुस्तिका	स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, किशोर–किशोरी अधिकार, बालिकाओं का महत्व, बाल विवाह और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	किशोर–किशोरी, माता–पिता और परिवार, समुदाय	यूनिसेफ
13.	बापवाली बात	राष्ट्रीय	हिंदी	ऑडियो एवं प्रिंट	रेडियो स्पॉट, पोस्टर, वाल पेंटिंग एवं टी.वी. सी.	शिक्षा	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	किशोर–किशोरी, माता–पिता और परिवार, समुदाय	यूनिसेफ
14.	प्रधान मंत्री का भाषण	राष्ट्रीय	हिंदी	ऑडियो–विजुअल	वीडियो	बाल विवाह को समाप्त करना, लिंग समानता और पोषण	सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	समुदाय	भारत सरकार
15.	अगड़म बगड़म	राज्य– उत्तर प्रदेश	हिंदी	ऑडियो–विजुअल	वीडियो	लिंग समानता	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद,	किशोर–किशोरी	यूनिसेफ और साझी दुनिया
16.	टिन टिन टिन्ना	राज्य– उत्तर प्रदेश	हिंदी	ऑडियो–विजुअल	वीडियो	समानता	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद,	किशोर–किशोरी	यूनिसेफ और साझी दुनिया
17.	मीना रेडियो (160 एपिसोड) एवं प्रयोगकर्ता गाइड	राष्ट्रीय	हिंदी	ऑडियो एवं प्रिंट	रेडियो स्पॉट	शिक्षा, स्वास्थ्य और किशोर अधिकार	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	किशोर–किशोरी, माता–पिता और परिवार, समुदाय	यूनिसेफ
18	फुल ओन निक्की (78 एपिसोड)	राष्ट्रीय	हिंदी	ऑडियो	रेडियो स्पॉट	स्वास्थ्य, पोषण, बाल विवाह, जेंडर, पुरुषत्व, बाल विवाह और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद, और सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	किशोर–किशोरी, माता–पिता और परिवार, समुदाय	यूनिसेफ

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	राष्ट्रीय / राज्य	भाषा	माध्यम	प्रकार	विषय	कहां उपयोग करें	लक्षित समुदाय	किसके द्वारा विकसित
फिल्म									
19.	लघु फिल्में – बाल संवाद, जल घर लाना, लड़कियों को स्कूल वापस लाना, सूचना शक्ति है, पुलिस हिरासत में हिंसा पर बातचीत	राज्य मध्यप्रदेश	हिंदी	आडियो विजुअल	फिल्म	भोपाल गैस त्रासदी, युवाओं की भागीदारी, पानी और स्वच्छता, लड़कियों की शिक्षा, सूचना शक्ति है, हिरासत में हिंसा	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद	किशोर–किशोरी, माता–पिता	यूनिसेफ
20.	सेफ सिटी फॉर चिल्ड्रन – लघु फिल्म	राज्य – मध्य प्रदेश	अंगेजी और हिन्दी	फिल्म	वीडियो	स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, किशोर अधिकार, लिंग, बाल विवाह और किशोर सशक्तिकरण	सहकर्मी बातचीत, संवाद और समुदाय लामबंदी तथा सहभागिता	किशोर, माता–पिता और परिवार, समुदाय	पीएफआई और यूएनएफपीए, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर
अंतर्वैयक्तिक सामग्री									
21.	किशोर–किशोरी मित्रवत स्वास्थ्य क्लिनीक	राज्य– झारखण्ड	हिंदी	प्रिंट	कार्ड गेम्स, फ्लिप बुक, नुक्कड़ नाटक, पम्फलेट, पोस्टर, सांप सीडी खेल	किशोर स्वास्थ्य	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद	किशोर–किशोरी	झारखण्ड सरकार
22.	सांझी बातें	राज्य– उत्तर प्रदेश	हिंदी	प्रिन्ट	कहानी और कविता पुस्तक	समानता, किशोर–किशोरी आकांक्षाएं और सपने	हम–उम्र साथियों के साथ संवाद	किशोर–किशोरी	यूनिसेफ और साझी दुनिया

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	राष्ट्रीय / राज्य	भाषा	माध्यम	प्रकार	विषय	कहां उपयोग करें	लक्षित समुदाय	किसके द्वारा विकसित
23	बिना दहेज सही उम्र में शादी, परिवार में रहे खुशहाली	राज्य बिहार	हिंदी	प्रिंट	फ्लिप कार्ड, एवं फ्लैश कार्ड	बाल विवाह	अंतर–पीढ़ी संवाद	माता–पिता और परिवार	बिहार सरकार
24.	बिहार सरकार – संचार सामग्री	राज्य बिहार	हिंदी	प्रिंट	बैनर, ब्रोशर, फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक, पोस्टर, दिवार पेंटिंग, रेडियो स्पॉट, गीत	बाल विवाह, दहेज और किशोर–किशोरी अधिकार	सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	समुदाय	बिहार सरकार
25.	चंदा पुकारे – नाटक की पटकथा	राज्य बिहार	हिंदी	प्रिंट	पटकथा	बाल विवाह और उसके प्रभाव	सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	समुदाय	
26.	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना– सामग्री	राज्य बिहार	हिंदी	प्रिंट	ब्रोशर, होर्डिंग एवं विज्ञापन	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना – किशोरी शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को रोकने के लिए योजना	सामुदायिक लामबंदी और जुड़ाव	समुदाय	बिहार सरकार
27.	बाल विवाह और दहेज कानून और नीतियों पर पुस्तिका	राज्य बिहार	हिंदी	प्रिंट	बुकलेट	बाल विवाह, दहेज और सरकार की वर्तमान नीतियां, कानून और योजनाएं	क्षमता निर्माण	प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता, अधिकारी एवं प्रशिक्षक	बिहार सरकार

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	राष्ट्रीय / राज्य	भाषा	माध्यम	प्रकार	विषय	कहां उपयोग करें	लक्षित समुदाय	किसके द्वारा विकसित
28.	बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करना मानक संचालन प्रक्रिया – बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी, दहेज निषेध अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., जिला कार्यक्रम अधिकारी गृह विभाग सरपंच और जिला पंचायती राज अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग के वार्ड सदस्य समाज कल्याण विभाग	राज्य बिहार	हिंदी	प्रिंट	बुकलेट	दहेज और बाल विवाह की रोकथाम	क्षमता निर्माण	प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता, अधिकारी एवं प्रशिक्षक	बिहार सरकार

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	राष्ट्रीय / राज्य	भाषा	माध्यम	प्रकार	विषय	कहां उपयोग करें	लक्षित समुदाय	किसके द्वारा विकसित
29.	बाल विवाह और दहेज प्रथा को दूर करने के लिए टूलकिट	राज्य बिहार	हिंदी	प्रिंट	बुकलेट	बाल विवाह, दहेज	क्षमता निर्माण	प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता, पुलिस अधिकारी, पंचायती राज संस्थान के सदस्य, समाज कल्याण विभाग, शिक्षक, टोला सेवक	बिहार सरकार
30.	किशोरों के साथ बातचीत करने के लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मॉड्यूल	राज्य बिहार	हिंदी	प्रिंट	बुकलेट	किशोरावस्था में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और मासिक धर्म	क्षमता निर्माण	आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	बिहार सरकार
31.	बिहार को बाल विवाह और दहेज मुक्त बनाने के लिए मीडिया किट	राज्य बिहार	हिंदी	प्रिंट	बुकलेट	दहेज और बाल विवाह	क्षमता निर्माण	मीडिया प्रतिनिधि	बिहार सरकार
32.	संविधान लाइवः बी ए जगरिक – चाइल्ड राइट्स	राष्ट्रीय	अंगेजी और हिन्दी	खेल के साथ टूलकिट	मल्टी मिडिया	चाइल्ड राइट्स	सहकर्मी बातचीत, संवाद और समुदाय लामबंदी तथा जागरुकता	किशोर, माता–पिता और परिवार, समुदाय	कम्यूटीनी
कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज									
33.	कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज ओन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन वेस्ट बंगाल	राज्य–पश्चिम बंगाल	अंग्रेजी	प्रिंट	संचार रणनीति	बाल विवाह और कन्याश्री प्रकल्प योजना	क्षमता निर्माण	अधिकारी और प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता	यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल सरकार

5

हम-उम्र साथियों के साथ संवाद

किशोर–किशोरियों का हम–उम्र साथियों के साथ संबंधित मुद्दों पर संवाद को सुगम बनाने के लिए *तारूण्य* पैकेज में कई सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री उपलब्ध हैं। हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रित होगा। इससे क्रियान्वयन करने वाले लोगों को किशोर–किशोरियों के मुद्दों, समस्याओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हम–उम्र संवाद इससे आगे यह भी बताता है कि इसमें क्या बाधाएं तथा रुकावटें हैं जिनका, क्रियान्वयन करने वालों को अंतर–पीढ़ी संवाद तथा सामुदायिक संवाद के दौरान हल निकालना होगा।

उदाहरण के लिए जब किशोर–किशोरी कहते हैं उनके माता–पिता का मानना है कि शिक्षा लड़कों के लिए ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता है और यही सोच उनके समुदाय में सभी लोगों में है, तब ऐसे हालात में हम क्रियान्वयन करने वालों के लिए अंतर–पीढ़ी संवाद और सामुदायिक संवाद में शिक्षा तक समान पहुँच को स्थापित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर हस्तक्षेप करना जरूरी बन जाता है।

हम–उम्र साथियों के साथ संवाद, किशोर–किशोरियों के व्यवहार में बदलाव का प्राथमिक मंच है। इसी वजह से हम–उम्र साथियों के साथ संवाद किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार में एक महत्वपूर्ण पहलू है।

© UNICEF

चित्र: 13

हम–उम्र साथियों के संवाद के द्वारा संबोधित किए जाने वाले मुख्य मुद्दे

वर्तमान सोच	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा अधिकार और हक है	लड़के और लड़कियों को समान अधिकार और हक है तथा लड़कियों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अधिक मदद की आवश्यकता है।
लड़कों के लिए शिक्षा की अधिक प्राथमिकता है क्योंकि उन्हें आय कमा कर लाना करना पड़ता है।	शिक्षा लड़के और लड़कियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें सूचित चयन करने का मौका मिले क्योंकि दोनों को ही स्वयं को तथा अपने परिवार को मदद देने के लिए सक्षम होना चाहिए।
लड़कियां घर के कामों के लिए जिम्मेदार हैं।	लड़के और लड़की दोनों घर के कामों के लिए जिम्मेदार हैं।
समुदाय में लड़कियों के लिए शादी करना ही एक मात्र विकल्प है।	लड़कियां, लड़कों की तरह ही स्कूल में अच्छा परिणाम लाने तथा अच्छी कमाई करने में सक्षम हैं, अगर उन्हें अवसर दिया जाए तथा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए जीवन में प्रयास जारी रखें।
परिवार गरीब हैं और उनके पास लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए धन नहीं है	लड़कियों को शिक्षित करना एक निवेश है जो उनके जीवन को सुरक्षित बनाएगा। लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है।
बाल विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है, यह सदियों से चली आ रही परम्परा है।	बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सदियों से चली आ रही थीं किन्तु अब नहीं होतीं जैसे– चिट्ठी–पत्री तथा टेलीग्राम के स्थान पर एस.एम.एस. और मोबाइल फोन का प्रयोग। वो लोग जो लड़के–लड़कियों को कानूनी उम्र से पहले ही विवाह करा देते हैं वे केवल एक अपराध ही नहीं करते बल्कि किशोर–किशोरियों को सशक्त तथा स्वावलम्बी बनने में बाधा पहुंचाते हैं। बाल विवाह का किशोरी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे शीघ्र गर्भधारण और प्रसव का जोखिम अधिक होता है और प्रसव के असफल होने की संभावना अधिक होती है। शीघ्र विवाह के कारण पढ़ाई छूट जाती है, हिंसा अधिक होती है, उन पर बंध न लगाए जाते है और एकांतवास में छोड़ दिया जाता है।
माता–पिता जानते हैं कि उनकी किशोरी लड़कियों और किशोर लड़कों के लिए क्या सर्वोत्तम है। अगर यह गलत भी है और किसी की इच्छा के विरूद्ध है तब भी माता–पिता के विरूद्ध जाना बहुत कठिन है।	ऐसी कई बातें हो सकती हैं जिसके बारे में माता–पिता को जानकारी न हो। माता–पिता किशोर–किशोरियों को सूचित चयन का विकल्प प्रदान करें। प्रभावी ढंग से बातचीत में सक्षम बनाने के लिए कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है।

हम–उम्र साथियों के साथ संवाद के लिए सामग्री

पिछले भाग में, *तारूण्य* पैकेज में शामिल सभी सामग्रियों की विस्तृत सूची, उनके प्रयोग करने के तरीके के सुझावों के साथ दी गई है। संचार आवश्यकताओं और स्थानीय सन्दर्भ के अनुसार, प्रयोगकर्ता हम–उम्र साथियों के साथ संवाद के लिए सामग्री का चयन और अनुकूलन कर सकते हैं। वे किशोर–किशोरियों के साथ बातचीत के लिए एक या एक से अधिक या सामग्रियों के मिश्रण को चुन सकते हैं।

इस अध्याय के एक भाग के रूप में, हम–उम्र साथियों के साथ संवाद के लिए कुछ चुनी हुई संचार सामग्रियों के प्रयोग का विवरण दिया गया है। इसके अन्तर्गत अम्मा जी कहती हैं फिल्म (एफ.एफ.एल.), आधाफुल ओम्नीबस, मीना रेडियो और फुल ऑन निकी शामिल हैं। यह सामग्रियां किशोरावस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों जिनमें बाल विवाह भी है, पर व्यापक रूप से समाधान प्रस्तुत करती है। ये सामग्री किशोर–किशोरियों के साथ प्रयोगकर्ता को, संवादात्मक तथा सहभागी तरीके से बातचीत करने का अवसर प्रदान करती है।

प्रत्येक सामग्री के प्रयोग का विवरण

1. अम्मा जी कहती हैं–फिल्म (एफ.एफ.एल.)

यह टीवी ड्रामा सीरियल, मनोरंजक तरीके से जीवन के संदेश, पुस्तक के संदेशों को ग्रामीण जन तक पहुंचाता है।

मुद्दे: बाल विवाह, जल्दी विवाह मतलब जल्दी गर्भधारण, शीघ्र गर्भावस्था के दुष्परिणाम, लौह तत्व और एनिमिया, साबुन से हाथ धोना, माहवारी में स्वच्छता, बचपन का महत्व, बाल संरक्षण समिति और असुरक्षित प्रवास (Migration)।

इसका प्रयोग तथा फालोअप कैसे करें: इस वीडियो का प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संचार तथा किशोर–किशोरियों के छोटे या बड़े समूह (15 से ज्यादा प्रतिभागी) में चर्चा करने के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग किसी गतिविधि की शुरूआत में किया जा सकता है जिससे कि वातावरण बन जाए या किशोर–किशोरियों से चर्चा शुरू की जा सके। वीडियो दिखाते समय प्रोजेक्टर या एक बड़े स्क्रीन और उपयुक्त साउन्ड सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि वीडियो ठीक से दिखाई जा सके। अम्मा जी वीडियो के साथ एक विस्तृत प्रयोगकर्ता गाईड उपलब्ध है जिसका प्रयोग चर्चा को दिशा देने के लिए अवश्य करना चाहिए। प्रयोगकर्ता गाईड का लिंक: http://49.205.179.104/Unicef-PCATarunyaVideo/AmmaJiKehatiHain/

2. आधाफुल ओम्नीबस (बहुप्रयोजन पैकेज)

यह एक 78 एपीसोड के टीवी ड्रामा की सीरीज़ है जिसका शीर्षक है आधाफुल (आधा भरा हुआ)। एक रहस्मय स्थिति जिसमें तीन किशोर–किशोरियां एक काल्पनिक कस्बे बदलीपुर में एक साथ आते हैं और प्रति सप्ताह एक केस का समाधान करते हैं। प्रत्येक एपीसोड 30 से 45 मिनट का है। ड्रामा सीरीज़ के साथ–साथ कॉमिक बुक और चर्चा के लिए मार्गदर्शिका भी उपलब्ध है।

मुद्दे: 26 कहानियों की एक ओम्नीबस निम्नलिखित विषयों को आच्छादित करती हैं:

- **कम उम्र में विवाह:** विवाह बनाम लड़कियों के लिए शिक्षा, किशोरावस्था में विवाह की रोमान्टिकता, विवाहित लड़कियों के लिए माता–पिता के सहयोग में कमी, विवाह बनाम कैरियर।
- **शिक्षा:** विद्यालय जाते समय रास्ते में उत्पीड़न, शैक्षणिक दबाव, स्कूल न छोड़ना, सीखने में अक्षमता, लिंग आधारित हिंसा– स्कूल में छेड़छाड़, मर्दानगी – हम–उम्र साथियों का दबाव और हिंसा।
- **पोषण:** लड़कियों के पोषण पर ध्यान न देना।
- **हिंसा:** पीछा करना और एसिड फेंकना, यौन उत्पीड़न, लिंग संबंधी रूढिबद्धता (स्टीरियोटाइपिग), लिंग के आधार पर अलगाव, महिलाओं की निगरानी और हिंसा, नियंत्रण और ताकत दिखाने के लिए गाली गलौच, मर्दानगी– लिंग संबंधी रूढिबद्धता, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिंसा।
- **जीवन कौशल:** किशोर–किशोरियों के लिए आकांक्षाएं और जीवन के विकल्प, शरीर के बारे में धारणा और ज्ञान, मेरा जीवन मेरी पसन्द, स्व–निर्धारित पसन्द।
- **लिंग समानता:** लड़के जो करते हैं वह सभी कार्य लड़कियां कर सकती हैं।

- मानव तस्करी
- जाति–आधारित भेदभाव

प्रयोग तथा फॉलोअप कैसे करें: इस पैकेज का इस्तेमाल अन्तर्वैयक्तिक संचार और छोटे या बड़े समूहों (15 प्रतिभागियों से अधिक) में किशोर–किशोरियों से चर्चा करने के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग भागीदारी पूर्ण चर्चा के लिए अकेली सामग्री के रूप में किया जा सकता है। वीडियो एपीसोड के बारे में किशोर–किशोरियों से चर्चा करने के लिए, वीडियो के साथ उपलब्ध मार्गदर्शिका का प्रयोग किया जाना चाहिए। पैकेज में उपलब्ध कॉमिक बुक का इस्तेमाल अतिरिक्त संदेश देने के लिए तथा एपीसोड से किशोर–किशोरियों ने क्या सीखा यह जानने के लिए किया जा सकता है। चर्चा की मार्गदर्शिका का लिंक: http://49.205.179.104/Unicef-PCATarunyaVideo/AdhaFull/BBCMediaActionAdhaFull/

3. मीना रेडियो

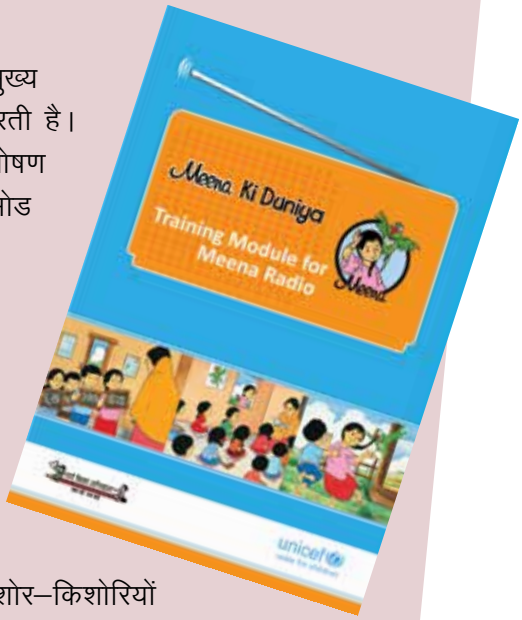

इसके अन्तर्गत 15 मिनट के 200 रेडियो स्पॉट्स हैं जिसमें इसकी मुख्य पात्र– मीना, बच्चों तथा किशोर–किशोरियों के मुद्दों पर शिक्षित करती है। रेडियो का प्रत्येक एपीसोड, जीवन–कौशल, शिक्षा, लिंग–समानता, पोषण और बाल–विवाह इत्यादि से जुड़े विभिन्न मुद्दे को चुनता है। एपीसोड की समाप्ति एक आकर्षक गीत या रुचिकर खेल से होती है। मीना रेडियो पैकेज के साथ एक विस्तृत प्रयोगकर्ता मार्गदर्शिका, एक रेडी रेक्नर (त्वरित संदर्भ पुस्तिका) और शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण मैनुअल उपलब्ध है।

मुद्दे: बाल विवाह, सामाजिक लिंग, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, जीवन कौशल और संरक्षण

प्रयोग तथा फालोअप कैसे करें: मीना रेडियो का प्रयोग स्कूलों और सामुदायिक परिवेश में किया जा सकता है। रेडियो के एपीसोड, किशोर–किशोरियों के साथ संवादात्मक चर्चा के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। चर्चा के बाद रेडियो एपीसोड में बताए गए खेल को बच्चे खेल सकते हैं। मुख्य संदेशों को दोहराने के बाद सत्र की समाप्ति के लिए गीत का प्रयोग किया जा सकता है। सामग्रियों का प्रयोग करते समय प्रयोगकर्ता मार्गदर्शिका तथा रेडी रेकोनर (त्वरित संदर्भ पुस्तिका) का संदर्भ लिया जाना चाहिए। प्रयोगकर्ता द्वारा मार्गदर्शिका तथा रेडी रेकोनर का लिंक: http://49.205.179.104/Unicef-PCATarunyaVideo/MeenaRadio160Episodes/

4. फुल ऑन निक्की

फुल ऑन निक्की एक 78 एपीसोड का रेडियो कार्यक्रम है। इस शो का उद्देश्य किशोर–किशोरियों में, स्वास्थ्य, बाल–विवाह, शिक्षा, पोषण और लिंग भेदभाव जैसे मुद्दों पर जागरूकता लाना है। यह रेडियो शो लोगों से बातचीत के द्वारा, इन मुद्दों पर उनके विचारों और दृष्टिकोणों को उजागर करता है। शो का प्रत्येक एपीसोड 12 से 15 मिनट का है।

मुद्देः शो के अनेक एपीसोड निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित हैंः

- बाल विवाहः बोलने का महत्व, शीघ्र विवाह बनाम स्कूल में जाना जारी रखना, अंतर–पीढ़ीं गतिकी (Dynamics), चुनने का अधिकार।
- विद्यालय और हम–उम्र साथीः स्कूल का रास्ता सुरक्षित बनाना, परीक्षा का दबाव, स्कूल छोड़ना, हम–उम्र साथियों का दबाव।
- लिंग असमानताः लिंग आधारित अलगाव, लिंग का सामाजीकरण, पितृसत्ता की रूढिबद्धता, नियामक मर्दानगी और विवाह की संस्था– लैंगिक अंतराल और पुरूष विशेषाधिकार को समाप्त करना।
- पोषण और स्वच्छताः पोषण और शरीर संबंधी छवि का मुद्दा, माहवारी का सामान्यीकरण, खेलकूद में महिलाएं
- जोखिमः बाल यौन उत्पीड़न, यह तथ्य कि जब एक लड़की कहती हैं नहीं तो इसका मतलब है नहीं, घरेलू हिंसा।
- सामाजिक मुद्देः सामाजिक समावेशन तथा बहिष्कार, जागरूक होने का महत्व और व्यक्ति की राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना।
- तकनीकी का प्रयोगः डिजिटल इंडिया– सूचनाओं तक पहुँच के लिए प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सेवा और संचार, इंटरनेट का काला पक्ष।

प्रयोग तथा फालोअप कैसे करें: ये रेडियो एपीसोड अंतर्वैयक्तिक संचार और समूह संचार के लिए उपयुक्त हैं। इन एपीसोडों को रेडियो पर स्कूलों में या गृह भ्रमण के दौरान चलाया जा सकता है। रेडियो एपीसोड के प्रसारण के बाद, किशोर–किशोरियों के साथ मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जा सकती है। चर्चा का केन्द्र बिन्दु यह होना चाहिए कि उस मुद्दे पर उनका तथा उनके परिवार की क्या बोध, दृष्टिकोण तथा व्यवहार हैं, शो में साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से वह कैसे भिन्न है, और वे बदलाव कैसे लाएंगे या वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए। अन्तिम तीन एपीसोडों में सभी एपीसोडों की सीखों का समाहार किया गया है और इसको सीखों को पुनरावृत्ति तथा फालोअप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

तारूण्य पैकेज का प्रयोग

सन्दर्भ	विषय जिन्हें संबोधित करना है	प्राथमिक समूह	आकार	स्थान	सामग्री जिनका प्रयोग करना है
जेन्डर रूढिबद्धता और मजबूत पितृसत्ता के बारे में किशोर–किशोरियों को सोचने के लिए तैयार करना।	लिंग सामाजीकरण और पितृसत्तात्मक रूढिबद्धता, नियामक मर्दानगी और विवाह की संस्था।	किशोर–किशोरी समूह	छोटे समूह या बड़े समूह– 15–25 बच्चों के।	बन्द कक्ष या पंचायत भवन बेहतर होगा।	फुल ऑन निक्की एपीसोड 3 से 6

प्रयोग कैसे करें

- एपीसोडों को बन्द कक्षा या पंचायत भवन में चलाया जा सकता है जहां किशोर–किशोरी ध्यान से सुन सकें।
- एक बार जब एपीसोड का प्रसारण हो जाए तब सुगमकर्ता इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि जेन्डर भेदभाव किस तरह उन्हें उनके दैनिक जीवन में प्रभावित करता है (लड़के और लड़कियां दोनों को बातचीत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए)। इस एपिसोड में व्यक्त किए गए विचारों और दृष्टिकोणों के बारे में वे क्या सोचते हैं, क्या उनकी सोच अलग है, क्या ऐसा कुछ उनके आस–पास है जिसे वे बदलना चाहेंगे।
- किशोर–किशोरियों से पूछें कि क्या उनके इर्द गिर्द, जेन्डर से संबंधित मापदण्ड पक्षपातपूर्ण हैं, अगर हां तो लड़के और लड़कियां दोनों को उदाहरण देने के लिए कहें।
- उनसे उन तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहें जिससे वे इन्हें बदल सकते हैं, इसके लिए उन्हें क्या सहायता चाहिए।
- उन्हें बदलाव के लिए एक व्यवहारिक कार्य बिन्दु बनाने में मदद दें जिन्हें वे अपने परिवारों में प्रयास कर सकते हैं, उदाहरण के लिए: क्यों लड़के और लड़कियों से एक विशेष तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है इसका पता लगाना, फॉलो–अप: उनसे कहें कि वे अपने माता–पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के उत्तरों को लिख लें जब वे 'क्यों' का जवाब दें और अगले सत्र में प्रस्तुत करें।

सन्दर्भ	विषय जिन्हें संबोधित करना है	प्राथमिक समूह	आकार	स्थान	सामग्री जिनका प्रयोग करना है
बाल विवाह	बाल विवाह को समाप्त करना	किशोर–किशोरी समूह	छोटे समूह या बड़े समूह (15 से 25 बच्चों तक के)	बन्द कक्षा/कक्ष बेहतर होगा।	आधा फुल ओम्नी बस कम उम्र में विवाह का एपीसोड फुल ऑन निक्की रेडियो एपीसोड–2

प्रयोग कैसे करें

- कम उम्र में विवाह पर आधाफुल ओम्नीबस एपीसोड के प्रदर्शन से सत्र की शुरूआत कर सकते हैं।
- एपीसोड पूरा हो जाने के बाद, किशोर–किशोरियों से पूछें कि एपीसोड में कौन से मुद्दे उठाए गए हैं जैसे विवाह बनाम लड़कियों की शिक्षा, किशोर–किशोरियों को विवाह का रोमांटिक पक्ष दिखना, व्यवसाय चुनने की अक्षमता।
- उनसे चर्चा करें कि क्या उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, उसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है।
- उसके बाद उनसे कहें कि अब आपको एक रेडियो ऐपीसोड सुनाया जाएगा जो बाल विवाह पर वास्तविक जीवन की सोच और नजरियें को दिखाता है।
- फुल ऑन निक्की एपीसोड–2 चलाएं जो शीघ्र विवाह बनाम स्कूल की शिक्षा जारी रखने के मुद्दे पर है।
- किशोर–किशोरियों से बाल विवाह पर लोगों की सोच और नज़रिये के बारे में पूछें, उनके समुदाय में बाल विवाह को किस नज़रिये से देखा जाता है, क्या वे इस नज़रिये को बदलना चाहेंगे, कैसे, उन्हें बताएं कि बाल विवाह रोकने के लिए वे क्या कर सकते हैं।
- बाल विवाह के दुष्परिणामों पर पुनः जोर देते हुए सत्र का समापन करें और यह दोहराएं कि इस प्रचलन को बदलना जरूरी है और इसे बदलने में वे क्या भूमिका निभा सकते हैं।

6

अंतर-पीढ़ी संवाद

किशोर–किशोरियों के जीवन के बारे में निर्णय लेने में माता–पिता तथा पूरे परिवार का प्राथमिक स्थान है। वे किशोर–किशोरियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए जिम्मेदार है। यद्यपि जब परिवार उन्हें सही देखभाल और संरक्षण नहीं दे पाता तब उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। अपने विश्वासों और आदतों या सामाजिक स्थितियों के कारण अगर परिवार बाल विवाह को अस्वीकार नहीं करता तो स्थिति पहले जैसी ही बनी रहती है। माता–पिता तथा किशोर–किशोरियों में पीढ़ी के अन्तर के कारण संवाद कम होता है, जिससे बाल विवाह, जेन्डर असमानता और अधिकारों के हनन के बारे में चुप्पी की संस्कृति विकसित हो जाती है। इस चुप्पी को तोड़ने के लिए अंतर–पीढ़ी संवाद बहुत जरूरी है। यह तभी होगा जब परिवार सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करें और किशोर–किशोरियों को विकसित होने और फलने–फूलने में मदद दें। इसलिए दोनों पीढ़ियों, किशोर–किशोरियों और उनके माता–पिता तथा वृहद परिवार के सदस्यों का संवेदीकरण और प्रशिक्षण समान रूप से महत्वपूर्ण है।

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार में अंतर–पीढ़ी संवाद कई तरह से मदद करता है:

- किशोर–किशोरियों तथा वयस्कों के जीवन के बीच निर्भरता को पहचानने में।
- छोटे और बड़े किशोर–किशोरियों की आवश्यकताओं में अन्तर के कारकों को जानने में तथा यह महसूस करने में कि भिन्न–भिन्न वयस्क, किशोरावस्था के भिन्न–भिन्न अवस्थाओं में सहयोगी भूमिका निभाते हैं।
- खुले संवाद के द्वारा एक साझी समझ विकसित करने में तथा प्रत्येक पीढ़ी के विशिष्ट अनुभवों के प्रति सम्मान दर्शाने में।
- प्रक्रिया के प्रतिभागी तथा स्वामी के रूप में दोनों पीढ़ियों को बराबर महत्व देने में।

चित्र: 14

अंतर-पीढ़ी संवाद के माध्यम से वे मुख्य मुद्दे जिन्हें संबोधित किया जा सकता है।

प्रचलित भूमिका	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
लड़कियों की अपेक्षा लड़के के ज्यादा अधिकार और हक हैं।	लड़के और लड़कियों के समान अधिकार और हक हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए लड़कियों को अधिक मदद की जरूरत है।
लड़कों के लिए शिक्षा बड़ी प्राथमिकता है क्योंकि उन्हें कमा कर लाना पड़ता है।	लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा समान रूप से जरूरी है क्योंकि दोनों को स्वावलम्बी तथा सशक्त बनने एवं स्वयं को और अपने परिवार को मदद देने के लिए सक्षम बनना चाहिए।
लड़कियों को परिवार के घरेलू कार्यों में मदद देना चाहिए क्योंकि यही पत्नी के रूप में भविष्य की उनकी भूमिका में मददगार होगा।	लड़के और लड़कियों को पढ़ने और खेलने का बराबर समय मिलना चाहिए क्योंकि लड़कियों को अगर अवसर मिले तो वे भी उतनी ही सक्षम बन सकती हैं जितने लड़के हैं और स्कूल में अच्छा परिणाम ला सकती हैं और कमाई कर सकती हैं।
लड़कियों की जल्दी ही शादी हो जाएगी इसलिए उनकी शिक्षा में निवेश करके व्यर्थ में खर्च करना बेकार है।	एक शिक्षित लड़की एक स्वस्थ लड़की है जिसके पास स्वयं को तथा अपने परिवार को मदद देने के अधिक अवसर हैं।

वर्तमान सोच	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
अगर माता–पिता के पास सीमित साधन हैं तो उन्हें लड़कों की शिक्षा में निवेश करना चाहिए क्योंकि उन्हें घर के बाहर नौकरी करनी है।	लड़के और लड़कियों, दोनों के लिए शिक्षा निःशुल्क है। इसके अलावा लड़कियों के लिए ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिससे जिन लड़कियों के परिवारों में संसाधन की कमी है वे भी अपनी लड़की की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित और प्रोत्साहित कर सकते हैं।
माता–पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तब लड़कियां उनकी सुरक्षा में कोई भूमिका नहीं निभातीं।	माता–पिता की यह जिम्मेदारी है कि लड़के और लड़कियों, दोनों के अधिकारों की पूर्ति हो। किशोर–किशोरी को केवल इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि वे बुढ़ापे में सुरक्षा बनें।
कुछ माता–पिता सोचते हैं कि शिक्षा मूल्यवान है किन्तु यह महसूस करते हैं लड़कियां अपनी शिक्षा का इस्तेमाल शायद नहीं कर पाएंगी या नौकरी प्राप्त नहीं कर पाएंगी।	पूरे विश्व में और भारत में, लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाती हैं और अपनी तथा अपने परिवार की मदद नौकरी पाकर करती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूलों में पढ़ाई के अनेक विकासात्मक लाभ हैं जैसे पढ़ सकना, सरकारी योजनाओं के बारे में जानना, आवेदन पत्र भरना और ग्राम पंचायत में भागीदारी करना, इत्यादि।
बाल विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकृत माना जाता है– यह सदियों से चला आ रहा है।	बाल विवाह का किशोरी बालिका के ऊपर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे गर्भावस्था तथा प्रसव का जोखिम हो सकता है और नवजात और मातृत्व मृत्यु की सम्भावना बढ़ जाती है। विवाह के कारण पढ़ाई छूट जाती है, उन पर बंधन लगाए जाते है और एकाकीपन में छोड़ दिया जाता है। दुर्व्यवहार तथा हिंसा होती है।
जब लड़कियों में यौवनारम्भ (शारीरिक रूप से दिखता है) हो जाता है तो उसी समय उनका विवाह कर देना सर्वोत्तम है। परिवार के सम्मान को बचाने के लिए उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह करना आवश्यक है।	बाल विवाह का किशोरी बालिका के ऊपर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे गर्भावस्था तथा प्रसव का जोखिम हो सकता है और नवजात और मातृत्व मृत्यु की सम्भावना बढ़ जाती है। विवाह के कारण पढ़ाई छूट जाती है, उन पर बंधन लगाए जाते है और एकाकीपन में छोड़ दिया जाता है। दुर्व्यवहार तथा हिंसा होती है।
अगर विवाह में ज्यादा देर कर दी जाए तो लड़कियां, लड़कों के साथ भाग जाएंगी और परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी।	किशोर–किशोरियों के साथ बेहतर संवाद तथा घर पर एक देखभाल करने वाला प्यार भरा वातावरण, किशोर–किशोरियों को इस तरह के कदम (जैसे घर से भागना) उठाने से रोकेगा।
लड़कियों की जल्दी शादी करना कभी–कभी बचत करने के लिए उपयोगी और आवश्यक होता है। अगर अन्य कोई रस्म/विधि (जैसे किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद) की जा रही हो और उसी के साथ लड़की की शादी कर दी जाए।	शादी में कम खर्च का नतीजा यह होगा, कि उसकी बड़ी कीमत किशोरी को चुकानी पड़ेगी। लड़के और लड़कियों को शादी के लिए तैयार होने से पहले उनको विवाह की रस्म में बांधना एक अपराध है और उनको उन अवसरों से वंचित कर देता है जिनके द्वारा वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करके स्वावलम्बी और सशक्त बन सकते हैं।

प्रचलित भूमिका	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
कानून लागू नहीं होते– प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाते और अगर किसी गरीब परिवार ने दहेज का भुगतान कर दिया है तो माता–पिता मदद के लिए गांव के नेताओं के पास जाएंगे या कानून लागू करने वालों के पास।	माता–पिता कानून से तो बच सकते हैं किन्तु जो नुकसान उन्होंने अपनी बेटी का किया है उस नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

अंतर–पीढ़ी संवाद के लिए सामग्री

हम–उम्र साथियों के संवाद के लिए इस्तेमाल होने वाली अनेक सामग्रियां जैसे अम्मा जी कहती हैं फिल्म (एफ.एफ. एल.), आधा फुल ओम्नीबस और फुल ऑन निक्की का इस्तेमाल अंतर–पीढ़ी संवाद में भी किया जा सकता है। वस्तुतः यह सलाह दी जाती है कि हम–उम्र साथियों और अंतर–पीढ़ी संवाद के लिए एक ही सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाए ताकि किशोर–किशोरियों तथा माता–पिता को समान संदेश मिलें और वह संदेश सुदृढ़ हों।

यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि मिश्रित समूह चर्चा हो जहां माता–पिता और किशोर–किशोरी एक दूसरे से बातचीत करें। अंतर–पीढ़ी संवाद के लिए सामग्रियों के मिश्रित प्रयोग का कुछ उदाहरण इस अध्याय के बाद वाले भाग में दिया गया है। इस भाग में अंतर–पीढ़ी संवाद के लिए राज्यों की विशिष्ट सामग्रियों का विवरण दिया गया है। इसके अन्तर्गत बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विकसित बाल विवाह समाप्त करने का पैकेज तथा बिहार सरकार द्वारा विकसित एक फ्लिप बुक शामिल है।

प्रत्येक सामग्री के प्रयोग का विवरण

1. बिहार का बाल विवाह समाप्त करने का पैकेज

पैकेज में दो वीडियो हैं, 'उड़ान' और 'सगाई' और एक गीत है जिसका नाम 'खोटा सिक्का' है, इसके साथ उड़ान पब्लिक सर्विस एनाउंसमेंट (PSA) भी शामिल हैं। दोनों वीडियो में यह दर्शाया गया है कि किस तरह बाल विवाह निश्चित तौर पर किशोर–किशोरियों पर दुष्प्रभाव डालते हैं और इसको तुरन्त रोकना जरूरी है। खोटा सिक्का गीत, दहेज लेने और देने से मना करने की एक अपील है। उड़ान रेडियो (पी.एस.ए.) के द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि समाज के दबाव में लड़की की जल्दी शादी करना गलत है और सुनने वालों को यह सूचना दी जाती है कि लड़की की शिक्षा जारी रखनी चाहिए और सही उम्र होने पर ही विवाह करना चाहिए।

मुद्दे: बाल विवाह, दहेज प्रथा और शिक्षा

प्रयोग तथा फॉलो–अप कैसे करें: बाल विवाह की रोकथाम क्यों करनी चाहिए इस मुद्दे पर माता–पिता के साथ सत्र करते समय वीडियो को एक सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यद्यपि यह छोटी हैं किन्तु संक्षिप्त तथा स्पष्ट संदेश देती हैं। जब चर्चा में किशोर–किशोरियों के विवाह के कारण के रूप में दहेज प्रथा उभरती है तब इस दुष्ट प्रथा को समाप्त करने के लिए सबकी सहमति बननी चाहिए। संदेशों को सुदृढ़ करने के लिए खोटा सिक्का गीत चलाया जाना चाहिए और रेडियो पी.एस.ए. को संदेशों को दोहराने के लिए चलाया जा सकता है।

2. बिना दहेज सही उम्र में शादी, परिवार में रहे खुशहाली

फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड बच्चों को शिक्षित करने के महत्व पर चर्चा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि लड़के और लड़कियों का विवाह उस उम्र तक न हो जब तक वे मातृत्व–पितृत्व की जिम्मेदारी उठाने के योग्य न बन जाएं और उनका दिमाग परिवार चलाने के काबिल न हो जाए। यह सामग्री बाल विवाह की समाप्ति की आवश्यकता को स्थापित करती है। सामग्री में उनके प्रयोग के बारे में निर्देश भी दिए हुए हैं। संदेशों को हर जगह रोचक कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

मुद्दे: बाल विवाह, दहेज प्रथा और शिक्षा

प्रयोग तथा फॉलो–अप कैसे करें: फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल छोटे समूहों (10 से 15 प्रतिभागी) में माता–पिता तथा परिवार के सदस्यों के साथ, सही उम्र में विवाह तथा दहेज न लेने और न देने के बारे में चर्चा करने के लिए किया जा सकता है। कहानी कहते समय, चरित्रों की समस्याओं और दुविधाओं और किस तरह उन्होंने समाधान खोजा, इस पर चर्चा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रतिभागियों को, कहानी और उनके जीवन में अन्तर को बताने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रभाव को बढ़ाने के लिए सत्र की समाप्ति 'खोटा–सिक्का' गीत से की जानी चाहिए।

3. मध्य प्रदेश का बाल विवाह की समाप्ति का पैकेज

फ्लिप बुक और फिल्मों की श्रृंखला ऐसे संसाधन हैं जिनसे लक्षित समूहों को बाल अधिकार पर जानकारी देने और उनके ज्ञान, मनोवृत्ति आदतों या व्यवहारों में बदलाव लाया जाता है। फ्लिप बुक बाल विवाह पर केन्द्रित है और मधु नाम की लड़की की कहानी बताती है। एनिमेटिक फिल्में विभिन्न विषयों जैसे– बाल श्रम और भेदभाव आदि को कहानी के माध्यम से दर्शाती हैं। इनके साथ चर्चा के बिन्दु भी दिए गए हैं। यह पैकेज एक व्यापक व्यवहार परिवर्तन संचार संसाधन है जो बाल विवाह की रोकथाम पर जोर देने के अलावा बाल अधिकारों को समग्र रूप से प्रदर्शित करता है।

मुद्दे: बाल विवाह, स्कूल छोड़ना, बाल श्रम, शारीरिक दण्ड, लैंगिक भेदभाव, अप्रवास (Migration), बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और बाल तस्करी

प्रयोग तथा फॉलो–अप कैसे करें: बाल विवाह के इर्द–गिर्द घूमने वाली मधू की कहानी से सत्र की शुरूआत कर सकते हैं। एक बार जब कहानी पूरी हो जाए तब माता–पिता तथा परिवार के सदस्यों के साथ इस बात पर चर्चा करें कि बाल विवाह के कारण क्या हैं, यह बच्चों तथा किशोर–किशोरियों को किस तरह प्रभावित करता है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। चर्चा के दायरे को बढ़ाने के लिए एनिमेटिक फिल्म दिखाई जा सकती है। आगे आने वाले सत्रों में विभिन्न एनिमेटिक फिल्में दिखाई जा सकती हैं और किशोर–किशोरी से जुड़े प्रत्येक मुद्दों जैसे– स्कूल छोड़ना और बाल श्रम इत्यादि पर चर्चा की जा सकती है।

4. राजस्थान बाल विवाह की समाप्ति पर पैकेज

इस पैकेज में दो 15 मिनट की एनिमेटिक फिल्में हैं, चित्रमय परिस्थिति कार्ड और कहानी मार्गदर्शिका है। दोनों फिल्मों और परिस्थिति कार्ड में माता–पिता को अपने किशोर–किशोरियों की जिन्दगी के बारे में निर्णय लेने वाले अगुवा के रूप में दिखाया गया है। यह पैकेज उन भ्रांतियों और विश्वासों को समाप्त करने का प्रयास करता है, जिनके कारण माता–पिता बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं।

मुद्दे: बाल विवाह, लड़कियों की शिक्षा

प्रयोग तथा फॉलो–अप कैसे करें: यह संचार सामग्रियां किशोर–किशोरियों तथा उनके माता–पिता के साथ अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार के लिए उपयुक्त हैं। परिस्थिति कार्ड को चर्चा शुरू करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि किस प्रकार वर्षों पुराने विश्वास और भ्रांतियां आज भी बाल विवाह को जारी रखे हुए हैं। परिस्थिति कार्ड का प्रयोग करते समय, चर्चा के बिन्दुओं वाले कहानी मार्गदर्शिका की सहायता ली जानी चाहिए। संदेशों को सुदृढ़ करने के लिए फिल्म दिखाई जानी चाहिए। प्रतिभागी फिल्मों तथा परिस्थिति कार्ड में दिखाई कहानी से किस प्रकार अपने को जोड़ते हैं इस बात पर चर्चा की जानी चाहिए। संदेशों को पुनः दोहराते हुए सत्र का समापन किया जाना चाहिए।

© NCCDC

तारूण्य पैकेज का प्रयोग

सन्दर्भ	विषय जिन्हें संबोधित करना है	प्राथमिक समूह	आकार	स्थान	सामग्री जिनका प्रयोग करना है
लड़कियों का स्कूल छोड़ना और बाल विवाह।	शिक्षा का महत्व तथा बाल विवाह को समाप्त करना।	परिवार के सदस्य (माता–पिता और दादा–दादी)।	छोटा समूह (4–5 लोग)	छायादार और हवादार खुला स्थान।	बिना दहेज सही उम्र में शादी, परिवार में रहे खुशहाली फ्लिप–बुक अम्मा जी कहती हैं फिल्म (एफ.एफ.एल.)

प्रयोग कैसे करें

- माता–पिता तथा दादा–दादी एवं किशोर–किशोरियों के छोटे समूह को बाल विवाह पर कहानी सुनाते समय फ्लिप बुक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- कहानी समाप्त हो जाने के बाद किशोर–किशोरियों एवं उनके माता–पिता तथा दादा–दादी को कहानी के मुख्य संदेशों की पहचान करने के लिए कहें।
- इन मुद्दों के इर्द–गिर्द चर्चा शुरू कराएं, उनसे पूछें कि गांवों में बाल–विवाह क्यों होता है, इसे पूरी तरह रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। किशोर–किशोरियों तथा उनके परिवारों को बाल विवाह रोकने के लिए किस प्रकार की सहायता की जरूरत है।
- उसके बाद उन्हें बताएं कि अब उन्हें अम्मा जी कहती हैं फिल्म का एक एपीसोड दिखाया जाएगा जिससे उन्हें पता चलेगा कि जहां बाल विवाह की रस्म होने वाली हो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है।
- अम्मा जी कहती हैं फिल्म के बाल विवाह एपीसोड–2 का प्रदर्शन करें।
- किशोर–किशोरियों और उनके माता–पिता, दादा–दादी से, फिल्म में चरित्रों ने क्या महसूस किया तथा स्थिति में कैसे बदलाव आया इत्यादि पर अपना नजरिया बताने के लिए कहें। उनसे यह भी पूछें कि वे अगर उसी समान स्थिति में होंगे तो वे क्या करेंगे, वे कैसे बाल–विवाह को रोकेंगे, वे किसकी मदद ले सकते हैं।
- मुख्य संदेशों को दोहराएं एवं इस बात पर जोर दें कि बाल विवाह को रोकने और ऐसी सोच को बदलने के लिए वे क्या कर सकते हैं।

7

सामुदायिक लामबन्दी और जुड़ाव

समुदाय, व्यवहार में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन में बदल सकता है। बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरियों को सशक्त बनाने के प्रयास का दूरगामी प्रभाव तभी पड़ेगा जब समुदाय इसे मान्यता दे और पूरे मनोयोग से इसमें सहायता दें। किशोर–किशोरी और उनके परिवार बाल विवाह से अगर असहमत भी हों किन्तु वे इसे तभी नकार सकते हैं जब समुदाय उनका साथ देगा। बाल विवाह तथा किशोर–किशोरी सशक्तिकरण से जुड़े रवैये तथा व्यवहार में तभी बदलाव आ सकता है, जब समुदाय अपनी मानक सीमा रेखा से बाहर निकले। एक बार जब बाल विवाह से जुड़े मापदण्ड समाप्त होंगे, तब नए प्रगतिशील मापदण्ड जो किशोर–किशोरी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, उनका स्थान ले लेंगे। मापदण्डों के बदलाव की प्रक्रिया में समुदाय धुरी बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हम–उम्र तथा अंतर–पीढ़ी संवाद के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि किशोर–किशोरियों को प्रभावित करने वाले समुदाय और व्यापक व्यवस्था को भी शामिल किया जाए और उसके साथ संवाद किया जाए।

जैसे ही हम–उम्र साथियों के साथ तथा अंतर–पीढ़ी संवाद शुरू कर दिया जाए और सुदृढ़ता प्राप्त कर ले तब समुदाय को लामबन्द करने और भागीदार बनाने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन शुरू किया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि परिवर्तनशील (Movers) लोगों और नेताओं (Leaders) का चयन कर लिया जाए, जिनकी बात का असर होता है और जो समुदाय में किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के मुद्दे को उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अवश्य संवेदित किया जाना चाहिए और उनके साथ मिलकर समुदाय को भागीदार बनाने एवं लामबन्द करने के लिए सामयिक और सतत् चलने वाली गतिविधियों की योजना बनायी जानी चाहिए।

इस कार्य के लिए विशेष दिन और त्योहार वाले महीनों का चयन किया जा सकता है जैसे– 8 मार्च (महिला दिवस), 23 मार्च (युवा दिवस), कटाई के त्योहार, विश्व स्वास्थ्य दिवस इत्यादि।

© NCCDC

चित्रः 15

सामुदायिक भागीदारी एवं लामबन्दी के द्वारा संबोधित होने वाले मुख्य मुद्दे

वर्तमान सोच	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
अपनी बेटियों के भविष्य के लिए माता–पिता को केवल यही विकल्प दिखता है कि वे उनकी जल्दी शादी कर दें।	पूरे विश्व में और भारत में लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाती हैं और उससे जो नौकरी पाती हैं उसी से वे अपनी तथा अपने माता–पिता की मदद करती हैं। लड़कियों की पढ़ाई में खर्च एक निवेश है जो उनके जीवन को अधिक सुरक्षित बनाएगा। अगर उन्हें नौकरी मिलती है तो वे परिवार की सुरक्षा में भी योगदान देंगी।
अगर लड़कियों को स्कूल भेजा भी जाता है तो भी लड़कियों की जीविका के विकल्प नहीं हैं	नौकरियों के लिए कौशल के अलावा, स्कूल के अनेक विकासात्मक लाभ हैं जैसे– पढ़ने में सक्षम होना, सरकारी स्कीमों के बारे में पढ़ना, आवेदन पत्र भरना, और ग्राम पंचायत में भाग लेना। स्वस्थ बच्चे को जन्म देने और उसे स्वस्थ रूप से विकसित करने के लिए शिक्षित माताएं जरूरी हैं।
"बाल विवाह सामाजिक रूप से स्वीकृत माना जाता है" यह सदियों से चला आ रहा है।	बाल विवाह का लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम पड़ता है क्योंकि इसके कारण उनकी गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जोखिम बढ़ जाता है और प्रसव में असफलता की संभावना बढ़ जाती है। बाल विवाह के कारण पढ़ाई छूट जाती है, उन पर बंधन लगाए जाते है और एकाकीपन में छोड़ दिया जाता है। उनके साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की संभावना अधिक होती है।
लड़की जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा दहेज देना पड़ेगा।	कम खर्चीले बाल विवाह के कारण जो बचत होती है उससे कहीं ज्यादा उस लड़की को अपने जीवन में भुगतना पड़ता है।
समुदाय के नेता परिवारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं और ग्राम वासियों को उनके निर्णय में साथ देना पसन्द करते हैं।	सशक्त नेता भीड़ के पीछे नहीं चलते, वे कठिन परिश्रम करते हैं ताकि नए सकारात्मक मापदण्ड स्थापित हो सकें जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह करके किया, राजा राममोहन राय ने सती–प्रथा का अन्त करके किया। परिवार और समुदायों को उनके लिए फायदेमंद कार्यों को करने के लिए अच्छे नेता रास्ता दिखाते हैं।
वे नेता खासकर जो चुने गए हैं वे अपने ग्राम वासियों के विरूद्ध नहीं खड़े होते। समुदाय में सभी के द्वारा स्वीकृत व्यवहारों में हस्तक्षेप करने पर नेता की प्रसिद्धि धूल में मिल जाएगी।	सच्चे नेता वही करते हैं जो सही है। और जैसे ही लोगों को वास्तविकता का पता चलता है और उसके लाभों को जान लेते हैं तो वे भी उसका पालन करने लगते हैं।
नेता अपने गांव के सम्मान के बारे में चिंतित रहते हैं जो पुलिस या मीडिया के आने पर प्रभावित हो सकता है।	बच्चे के अधिकारों (कम उम्र में शादी न करना) की रक्षा न करना असली अपमान है। इसमें पुलिस आपकी मदद करेगी।

वर्तमान सोच

विवाह एक व्यक्तिगत/पारिवारिक मामला है। इसमें समुदाय के नेता क्या भूमिक निभा सकते हैं?

मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है

बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा लड़कियों की शिक्षा में निवेश के महत्व के बारे में ग्राम वासियों की समझ विकसित करने में नेताओं की अहम भूमिका है।

लड़के–लड़कियों की शादी कराना केवल एक अपराध ही नहीं है बल्कि यह उनके सशक्त तथा स्वावलम्बी बनने के अवसर को भी उनसे छीनता है। नेता कानून को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वे नेता जो वास्तव में अपने गांव के किशोर–किशोरियों का हित चाहते हैं वे अपने गांव में बाल विवाह को सक्रियता से रोकेंगे।

समुदाय को भागीदार बनाने और लामबन्द करने के लिए सामग्री

समुदाय के साथ बातचीत के लिए भी, हम–उम्र साथियों के साथ संवाद तथा अंतर–पीढ़ी संवाद की अनेक सामग्री इस्तेमाल की जा सकती हैं। *तारूण्य* पैकेज में और कई सामग्री ऐसी हैं जिनका प्रयोग बड़े समूहों या जन संचार के लिए किया जा सकता है। सामुदायिक संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद तथा हम–उम्र साथियों के साथ संवाद में संदेशों का एक समान होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक सामुदायिक लामबन्दी के प्रयासों में, अंतर–पीढ़ी संवाद तथा हम–उम्र साथियों के साथ संवाद के संदेशों पर पुनः बल दिया जाना चाहिए। अध्याय के इस भाग में उन सामग्रियों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें सामुदायिक संवाद गतिविधियों में प्रयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक सामग्री के प्रयोग का विवरण

1. चन्दा पुकारे नाटक पटकथा

इस नाटक की पटकथा भी बिहार सरकार द्वारा विकसित की गई है। इस पटकथा में किशोर–किशोरियों के लिए शिक्षा का महत्व और बाल विवाह के दुष्परिणामों (विशेषकर लड़कियों पर) को उजागर किया गया है।

मुद्दे: शिक्षा, बाल विवाह एवं उसके कुप्रभाव और बाल विवाह की रोकथाम

प्रयोग तथा फॉलो–अप कैसे करें: पटकथा का प्रयोग करके नाटक तैयार किया जा सकता है और सामुदायिक बैठकों तथा समुदाय आधारित अवसरों पर मंचित किया जा सकता है। नाटक का इस्तेमाल प्रभावी रूप में किया जाना चाहिए ताकि समुदाय के सदस्यों से, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की गुहार लगाई जा सके। नाटक मंचित होने के बाद प्रश्न–उत्तर सत्र का आयोजन किया जा सकता है। समापन के लिए खोटा–सिक्का या ऐसा ही कोई गीत प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे संदेशों का सुदृढ़ीकरण हो।

2. बाप वाली बात

बाप वाली बात में एक–एक पोस्टर, होर्डिंग तथा दीवार चित्रकारी है, दो एक–एक मिनट के टीवी विज्ञापन हैं और 30 सेकेण्ड के दो रेडियो स्पॉट्स हैं। इनमें लड़कियों की शिक्षा को प्रेरित करने पर बल दिया गया है। बाप वाली बात एक सार्वजनिक संचार पैकेज है जो ऐसे पिताओं की सराहना करता है जिन्होंने अपनी लड़की के लिए शादी के बदले शिक्षा को चुना। यह भारतीय पिताओं को अपनी बेटी को एक बेहतर जीवन देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

मुद्दे: बाल अधिकार, लड़कियों की शिक्षा, बाल विवाह

प्रयोग तथा फॉलो–अप कैसे करें: बाप वाली बात टीवी विज्ञापन और रेडियो स्पॉट्स को सामुदायिक बैठकों, स्वयं सहायता समूहों की बैठकों और अन्य सामुदायिक मंचों पर दिखाया जा सकता है। ऑडियो–विजुअल सामग्री का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि माता–पिता और खास कर पिता की भूमिका पर चर्चा विकसित की जाए कि किस तरह वे अपने किशोर–किशोरी बच्चों को शिक्षा जारी रखने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में मददगार भूमिका निभा सकते हैं। विज्ञापनों और रेडियो स्पॉट्स को चलाने के लिए प्रोजेक्टर या बड़े स्क्रीन तथा एक अच्छे साउण्ड सिस्टम की आवश्यकता होगी। होर्डिंग और वॉल पेंटिंग को समुदाय में सार्वजनिक स्थानों में लगाया जा सकता है ताकि मुख्य संदेश याद रहें और उनका पुनः सुदृढ़ीकरण हो।

3. प्रधानमंत्री के भाषण

इन भाषणों के वीडियो में भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने नागरिकों से जोर देकर बाल विवाह को समाप्त करने और लैंगिक समानता स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे इस बात पर भी बल दिया है कि लड़के और लड़कियों को समान रूप से पोषक आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वे एक स्वस्थ वयस्क के रूप में विकसित हों।

मुद्दे: बाल विवाह, लैंगिक समानता, लड़के और लड़कियों के लिए समान रूप से पोषण की उपलब्धता

प्रयोग तथा फॉलो–अप कैसे करें: वीडियो का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया जा सकता है कि बाल विवाह को समाप्त करने और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कितनी कटिबद्ध है। यह अपेक्षा की जाती है कि जब देश का अगुआ नेता बाल विवाह की समाप्ति की पैरवी कर रहा है तो यह समुदायों, क्रियान्वयन करने वालों और सेवा प्रदाताओं को इसके लिए कार्य करने के लिए प्रभावित करेगा। इस वीडियो को बड़ी सभाओं तथा समुदाय आधारित आयोजनों में दिखाने के लिए विकसित किया गया है। हमारी सलाह है कि वीडियो दिखाने के लिए प्रोजेक्टर या एक बड़ी स्क्रीन और उपयुक्त साउण्ड सिस्टम की व्यवस्था की जानी चाहिए।

तारूण्य पैकेज का प्रयोग करना

सन्दर्भ	विषय जिन्हें संबोधित करना है	प्राथमिक समूह	आकार	स्थान	सामग्री जिनका प्रयोग करना है
दहेज प्रथा और बाल विवाह।	दहेज प्रथा बन्द कराना और बाल विवाह की समाप्ति।	समुदाय के सदस्य।	बड़ा समूह (20 से अधिक)।	खुला स्थान जो हवादार और छायादार हो।	चन्दा पुकारे नाटक की पटकथा, प्रधानमंत्री के भाषण का वीडियो, खोटा सिक्का गीत।

प्रयोग कैसे करें

- सत्र का प्रारम्भ परिचय देते हुए करें और बताएं कि एक नाटक जिसका शीर्षक 'चन्दा पुकारे' है, प्रदर्शित किया जाने वाला है।
- नाटक का मंचन करें।
- बाल–विवाह तथा दहेज प्रथा के संबंध में चर्चा विकसित करें और उनसे पूछें कि गांवों में बाल विवाह क्यों होते हैं, इसके लिए दहेज प्रथा क्यों एक कारण है, दोनों प्रथाओं को पूरी तरह समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसमें समुदाय की क्या भूमिका है।
- चर्चा के बाद बताएं की वे एक ऐसा वीडियो देखेंगे जिसमें राष्ट्र के अगुआ नेता उनसे समर्थन मांग रहे हैं।
- वीडियो दिखाएं और प्रतिभागियों को मुख्य संदेशों का सार बताने के लिए कहें।
- समुदाय के लोगों को दहेज प्रथा और बाल–विवाह की प्रथा को मिटाने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करें।
- खोटा सिक्का गीत के साथ सत्र का समापन करें।

तारूण्य पैकेज पर प्रशिक्षण

8

बाल विवाह को समाप्त करने और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और कायम रखने के लिए सारे प्रयास क्रियान्वयनकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं द्वारा ही किए जाते हैं जिसमें सरकारी पदाधिकारी, विकास में साझेदार (Developement Partners) और प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता तथा मीडिया शामिल है। इस तरह हर प्रकार के हस्तक्षेप के वे मेरूदण्ड हैं। उन्हें समुदाय में सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए तैयार करना होगा, इसलिए उनका प्रशिक्षण और क्षमता विकास अत्यन्त आवश्यक है। *तारूण्य* पैकेज में प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, मीडिया और सामाजिक संगठनों को प्रशिक्षित करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। इसके साथ बाल विवाह के संबंध में वर्तमान समय में लागू कानूनों एवं मानक कार्य पद्धति पर दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। यह विस्तृत विवरण वाले संसाधन और सामग्री हैं जिसके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

वास्तव में, यह महत्वपूर्ण है कि क्रियान्वयनकर्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं को किशोर–किशोरी सशक्तिकरण, किशोर–किशोरियों के अधिकारों की अवधारणा, बाल विवाह के कारण और इसके दुष्परिणाम, सहायक सेवाएं और तंत्र पर प्रशिक्षित किया जाए, जो मूल रूप से सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के सिद्धान्तों एवं अभ्यासों में समेकित है। क्रियान्वयनकर्ताओं के लिए यह निर्धारित करना जरूरी है कि राज्य, जिले और निचले स्तर पर किसे प्रशिक्षित करना जरूरी है। इस बात की संस्तुति की जाती है कि सरकारी पदाधिकारियों, यूनिसेफ के नेटवर्क, विकास में साझेदारों, प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा समुदाय के मुख्य प्रभावी सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाए।

क्षमता विकास के लिए मुख्य मुद्दे

क्रियान्वयनकर्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं, जिन्हें प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता कहा जाता है, जिसमें शिक्षक/शिक्षिका, सामुदायिक नेता, धार्मिक नेता और जिले तथा राज्य स्तरीय पदाधिकारी तथा मीडिया शामिल है, वह मुख्य प्रभावी व्यक्ति हैं जिनका निम्नानुसार क्षमता विकास किया जाना चाहिए।

© UNICEF

चित्रः 16

क्षमता विकास का क्षेत्र	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
बाल विवाह को समाप्त करने में वर्तमान समय की बाधाएं।	• प्रचलित मान्यताएं और सामाजिक मापदण्ड जैसे– लड़कियों के लिए विवाह ही एकमात्र विकल्प है, लड़कियों को शिक्षित करने के बावजूद उनके पास जीविका का कोई विकल्प नहीं हैं; लड़कियों की सुरक्षा, विवाह एक व्यक्तिगत मामला है जिसमें बाहरी लोगों को हस्तक्षेप नहीं डालना चाहिए। • बाल विवाह सदियों से होता आ रहा है और ऐसी परम्परा को बदलना कठिन है, ऐसे विवाह गुप्त रूप से किये जाते हैं। जिसके कारण इन्हें रोकना कठिन है। • लोगों को कानूनों की कम जानकारी है और उन्हें यह नहीं पता कि मामलों की रिपोर्ट कैसे की जाए। • कर्जदार हो चुके परिवारों की शादी रुकवाने में कानून लागू करने वाले अधिकारी दुविधा में पड़ जाते हैं। • बाल विवाह एक आकर्षक/सनसनीखेज कहानी बन जाता है।
वर्तमान कानून, व्यवस्था और सहायता देने वाला तंत्र	• कानूनों के प्रति जागरूकता जैसे–बाल विवाह निषेध अधिनियम, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार। • विभिन्न हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्वों पर प्रशिक्षण। • योजनाओं जैसे–एस.ए.जी., बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य और अन्य योजनाएं, जो किशोर–किशोरी के अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू की गई हैं, के बारे में जानकारी।
जिम्मेदार और जवाबदेह बनना	• प्राधिकारी, नेता और प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता, कानून का सख्ती से पालन करके हानिकारक प्रयासों तथा सामाजिक मापदण्डों को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। • किशोर–किशोरियों के अधिकारों का उल्लंघन होने से बचाव करने का दायित्व उनका है। • उन्हें इसका सक्रियतापूर्वक बहिष्कार करना चाहिए और बाल विवाह की घटना की रिपोर्ट तुरन्त देनी चाहिए। • उन्हें बाल विवाह से होने वाले जोखिम के बारे में जागरूक करना चाहिए और किशोर–किशोरियों के लिए योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए। • उनमें यह क्षमता है कि वे किशोर–किशोरियों का सशक्तिकरण कर सकें और उनके जीवन में बदलाव ला सकें। • मीडिया को बाल विवाह की रिपोर्टिंग संवेदनशील और जिम्मेदार तरीके से करनी चाहिए और पीड़ित व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखना चाहिए। • मीडिया को रोल–मॉडल का तथा सकारात्मक पथांतरण (डेवियांस) के मामलों का प्रदर्शन करना चाहिए

क्षमता विकास का क्षेत्र	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
गतिविधि और बदलाव के अगुवा	• बदलाव की अगुवाई करने वाला होने के नाते उन्हें हम–उम्र साथियों, अंतर–पीढ़ी और समुदाय के स्तर पर बहुस्तरीय सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियां शुरू करनी होंगी और कायम रखनी होंगी। • नजर आने वाले बदलाव और बदलाव में तेजी लाने के लिए एकजुट होकर कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। • मीडिया की व्यापक पहुंच है इसलिए सामाजिक बदलाव लाने में वह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

तारूण्य प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के बारे में

तारूण्य पैकेज के असरदार तरीके से प्रयोग के लिए, सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन में शामिल सभी हितधारकों का क्षमता विकास और प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है। प्रयोगकर्ताओं के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि वे इस प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का समुचित प्रयोग कर सकें। भिन्न–भिन्न राज्यों एवं जिलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता अलग–अलग हो सकती है। जो इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व क्या हैं, इस समय उन्हें कितना ज्ञान तथा उनकी क्षमता कितनी है और जहां वे कार्य करते हैं वहां के तंत्रों और सेवा प्रदायगी के तरीकों में कितनी परिपक्वता है। इसी कारण, इन भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण पद्धति, प्रशिक्षण योजना और विषय–वस्तु का अनुकूलन (Customisation) करना पड़ सकता है। यद्यपि हर स्थिति में *तारूण्य* पैकेज पर प्रशिक्षण जरूर दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के आयोजन का दायित्व राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और जिले स्तरीय जिम्मेदार प्राधिकारियों का है। क्रियान्वयन करने वाले लोगों तथा जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भी सक्रियता से प्रशिक्षण की मांग करनी चाहिए।

तारूण्य पैकेज पर कार्यशाला आयोजित करने में सहायता देने और मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका को विकसित किया गया है। यह मार्गदर्शिका गतिविधि युक्त तथा संवादात्मक पद्धति पर आधारित है तथा प्रशिक्षकों के लिए बहुत सहायक होगी। मार्गदर्शिका का विकास सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल, हम–उम्र साथियों, अंतर–पीढ़ी तथा सामुदायिक संवाद को आधार मानकर किया गया है। *तारूण्य* पैकेज का क्या उद्देय है, प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, किन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, प्रशिक्षक कौन हो सकता है, प्रशिक्षण की विषय–वस्तु तथा कार्यपद्धति क्या होगी तथा इसके साथ ही साथ प्रशिक्षण की योजना बनाना एवं प्रशिक्षण के लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए, इसका व्यापक विवरण दिया गया है। इसमें प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री की सूची भी दी गई है और कुछ प्रेरक तथा झिझक मिटाने वाली गतिविधियां भी दी गई हैं।

याद रखने योग्य बातें

- प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का प्रयोग किया जाना चाहिए/अनुकूलित किया जाना चाहिए।
- प्रतिभागियों की प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण की पद्धति, विषय–वस्तु तथा योजना में बदलाव/सुधार करें।
- समय और बजट की सीमा का ध्यान रखें।
- प्रशिक्षण को एक प्रक्रिया के रूप में देखें, न कि एक बार की जाने वाली गतिविधि के रूप में। प्रशिक्षण योजना में फीड–बैक, रिफ्रेशर तथा कार्य के दौरान सहायता (Handholding) की व्यवस्था रखें।
- अपनी योजना में एक आवश्यक अंग के रूप में प्रशिक्षण के परिणामों के अनुश्रवण को शामिल करें।
- मास्टर ट्रेनरों का एक कैडर तैयार करें और उनकी तैयारी अच्छी तरह से करवाएं।
- अन्तर–विभागीय अभिसरण का लक्ष्य रखें। इसके लिए प्रतिभागियों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास और युवा मामलों के विभागों इत्यादि से प्रतिभागियों को शामिल करें।

9 कार्य योजना विकसित करना

किशोर सशक्तिकरण के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर योजना बनाना महत्वपूर्ण है।

चित्र: 17

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कार्रवाई के बिंदु

	राष्ट्र	राज्य	जिला
योजना विकसित करना	सुनिश्चित करें कि राज्य एसबीसीसी के लिए कार्य योजना विकसित करता है। एसबीसीसी हस्तक्षेप और तारुण्य पैकेज के उपयोग के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट और साझा करें।	एसबीसीसी के लिए राज्य की कार्य योजना विकसित करें। राज्यों से जिलों के स्तर तक संचार बिना अर्थ बदले निर्बाध रूप से पहुंचे।	जिला स्तर के लिए कार्य योजना बनायें।
पैकेज अनुकूलन	राज्य स्तर के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए तारुण्य पैकेज का भाषा अनुकूलन/सुधार।	राज्यों से जिलों तक पैकेज के भाषा संस्करण प्रसारित करें और कार्यान्वयनकर्ताओं और इसका उपयोग करने वालों तक तारुण्य पैकेज की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराएं।	
क्षमता विकास	मास्टर प्रशिक्षकों एवं कार्यान्वयन साझेदारों के तारुण्य पैकेज के उपयोग पर क्षमता विकास के लिए राज्यों को सहयोग दें। क्षमता विकास, सलाह और हैंडहोल्डिंग पर साझेदारी के लिए उपलब्ध संगठनों की सूची साझा करें।	पैकेज को लक्षित समूह तक पहुँचाने के लिए और प्लेटफार्मों की पहचान करें। इन पहचाने गए प्लेटफार्म में से प्रासंगिक (राज्य विशिष्ट) प्लेटफार्म को चुने और उन पर गहन कार्यान्वयन के लिए सहयोग दें।	प्रमुख हितग्राहियों के लिए क्षमता विकास गतिविधियां आयोजित करें।
अभिसरण	राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ अभिसरण	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास, कौशल विकास विभागों और राज्य नेहरु युवा केंद्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) के बीच अभिसरण।	सभी जिला स्तर के निकायों और अधिकारियों के बीच अभिसरण, जिसे जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर (डीएम/डीसी) द्वारा संचालित किया जायेगा।

परिणामों की निगरानी करें

राष्ट्र	राज्य	जिला
प्रशिक्षण और वास्तविक कार्यान्वयन को ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रारूप प्रदान करें। राज्यों द्वारा तारुण्य पैकेज के उपयोग की निगरानी करें।	शिक्षण और वास्तविक कार्यान्वयन को ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रारूपों का अनुकूलन/बदलाव और उपयोग करें। पैकेज के उपयोग की निगरानी करें।	प्रशिक्षण और वास्तविक कार्यान्वयन को ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रारूपों का उपयोग करें।

कार्य योजना तैयार करना: याद रखने योग्य बातें

- योजना बनाने से पहले मौजूदा परिस्थिति का आकलन करें और एक बेसलाइन स्थापित करें।
- दीर्घ–कालीन नजरिये के साथ योजना बनायें – जैसे जिला स्तर पर एक वर्ष के लिए, राज्य स्तर पर 5 वर्ष के लिए, इत्यादि; लेकिन योजना को पूरा करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें।
- योजना का ड्राफ्ट बनाते समय योजना को लागू करने में भूमिका अदा करने वाले सभी हितग्राहियों को इसमें शामिल करें, और योजना में अंतर–विभागीय अभिसरण को शामिल करें।
- इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दें – हम क्या हासिल करना चाहते है, क्यों, कैसे, कब, और किसके साथ, क्या कोई शर्ते या सीमाएँ हैं; इसको लागू करने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी?
- स्मार्ट लक्ष्यों के साथ योजना को यथार्थवादी रखें। स्मार्ट लक्ष्य – विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक और समय पर।
- लक्ष्यों को नजर में रखते हुए आउटकम (परिणाम), आउटपुट, इनपुट, गतिविधि, और संसाधन, निगरानी सूचक को पहचानें और निर्धारित करें।
- सभी हितग्राहियों की भूमिका और जिम्मेदारी को स्पष्ट करें।
- जब योजना पूरी बन जाए तो उसे उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो इसको लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- एक बार तय हो जाये तो योजना के मुताबिक काम करें, लेकिन साथ ही थोड़ा लचीलापन बनाये रखें।
- मापने योग्य निगरानी सूचकों के जरिये आउटपुट और आउटकम (परिणामों) को जांचे और योजना की प्रगति की निगरानी करें।
- इस बात का ध्यान रखें कि एस.बी.सी.सी. के द्वारा आने वाले परिवर्तनों को मापना हमेशा संभव नहीं होता है, इसलिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों सूचकों को पहचाने और शामिल करें।
- इस बात पर विश्वास बनाये रखें कि परिवर्तन संभव है और हम उसे हासिल कर सकते हैं।

कार्य योजना बनाने के लिए कुछ उदाहरण

कार्य योजना में लक्ष्य, परिणाम, आउटपुट, गतिविधियां और टारगेट को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इसके अलावा समय–सीमा, आवश्यक संसाधन, और सभी हितग्राहियों की भूमिका और जिम्मेदारी भी स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। नीचे दिया गया उदाहरण इन सभी चीजों को समझने में मदद करेगा।

बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जिला स्तरीय योजना बनाना
(इसमें किशोरों और माता-पिता के साथ पाक्षिक (2 सप्ताह पर) अंतर-पीढ़ी संवाद के सत्र शामिल है)
(केवल संदर्भ के लिए)

लक्ष्य एवं समय-सीमा

अगले 1 वर्ष में जिले में बाल विवाह में 10 प्रतिशत की कमी लाना।

गतिविधि

- समूह सत्रों के दौरान फैसिलिटेटर किशोरों और माता–पिता को व्यावहारिक जानकारी, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है।
- फैसिलिटेटर बाल विवाह के कारणों और परिणामों पर चर्चा करता है और इस बात पर जोर देता है कि इससे पीड़ित और जोखिम–वाले बच्चों को सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है।
- फैसिलिटेटर किशोरों और माता–पिता के बीच संवाद को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे एक–दूसरे के विचारों, धारणाओं और अपेक्षाओं को समझ सकें।
- फैसिलिटेटर जोखिम–वाले बच्चों के लिए उपयोगी सामुदायिक संसाधनों, समर्थन योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करता है।

इनपुट

- कार्यक्रम किशोर–किशोरी मुद्दों पर आठ अनुभवी पार्ट टाइम फैसिलिटेटर प्रदान करता है।
- कार्यक्रम तारुण्य पैकेज के लिए संचार सामग्री, रेडियो, एलसीडी और प्रोजेक्टर प्रदान करता है।

आउटपुट

- माता–पिता और किशोर–किशोरी बाल विवाह और शिक्षा के महत्व पर पाक्षिक अंतर–पीढ़ी संवाद सत्रों में भाग लेते हैं

परिणाम

- ज्यादातर किशोर और किशोरियां स्कूल जा रहे हैं और 18 वर्ष की उम्र से पहले शादी नहीं कर रहे हैं।
- वे बाल विवाह को ना कहने में सक्षम हैं।
- माता–पिता बाल विवाह के नुकसान को समझते हैं और शिक्षा पूरी होने और विवाह की कानूनी उम्र पार करने के बाद ही विवाह करते हैं।

परिवर्तन के सूचक

- प्रतिशत किशोर, जिन्होंने तरुण पैकेज के माध्यम से किशोरों के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की है।
- प्रतिशत माता–पिता, जिन्होंने *तारुण्य* पैकेज के माध्यम से किशोरों के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की है।
- प्रतिशत किशोर, जो बाल विवाह को अस्वीकार करते है।
- प्रतिशत माता–पिता, जो बाल विवाह को अस्वीकार करते हैं।

सत्यापन करने का तरीका

- माता–पिता के साथ ज्ञान और मनोवृति सर्वेक्षण।
- हस्तक्षेप से पहले और बाद में, पुलिस या अन्य बाल संरक्षण एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए बाल विवाह के मामलों के बीच तुलना।

© NCCDC

10

परिणामों की निगरानी (अनुश्रवण)

मॉनिटरिंग (निगरानी) का अर्थ है योजना के साथ कार्य की प्रगति की तुलना करना। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि "यदि किसी कार्य की निगरानी हो रही है तो यह मान लिया जा सकता है कि कार्य जरूर होगा, या कार्य बेहतर तरीके से होगा"।

यह कार्यक्रम के बारे में सुनियोजित तरीके से जानकारी को इकठ्ठा करने, विश्लेषण करने और लक्ष्य की ओर कार्य की प्रगति पर नजर रखने के लिए और प्रबंधन के फैसलों को दिशा देने के लिए उपयोगी प्रक्रिया है।

सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार में निगरानी

सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के संदर्भ में निगरानी करना बेहद जटिल है, क्योंकि व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना एक बेहद धीमी और बार–बार दोहरायी जाने वाली प्रक्रिया है। इसलिए योजना बनाने के समय ही एक निगरानी रूपरेखा (मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क) तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है।

इस निगरानी रूपरेखा को कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि और हस्तक्षेप में शामिल किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को लागू करने वालों को यह बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी है कि किस चीज की निगरानी की जानी है, उसकी निगरानी कैसे की जाएगी और कौन और कब इसकी निगरानी करेगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम हासिल हो रहे है, किसी भी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेप की प्रत्येक गतिविधियों, उसकी पहुँच, गुणवत्ता, प्रक्रिया और प्रभावशीलता की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

मॉनिटरिंग के प्रकार

- **गतिविधियों की मॉनिटरिंग:** यह जानना कि क्या व्यवहार परिवर्तन के लिए सभी गतिविधियाँ योजना के अनुसार की जा रही हैं, क्या प्रशिक्षित मानव संसाधन को काम पर लगाया जा रहा है, और क्या सामग्री और सेवाएं उपलब्ध है।

  उदाहरण: क्या बाल विवाह के विषय पर किशोर–किशोरियों के बीच हम–उम्र दोस्तों के साथ संवाद और अंतर–पीढ़ी संवाद, योजना में निर्धारित समय के अनुसार आयोजित किये जा रहे है।

- **अच्छादन (कवरेज) निगरानी:** यह जानना कि क्या एक या एक से अधिक एस.बी.सी.सी. गतिविधियों द्वारा योजना में लक्षित जनसमुदाय की निर्धारित संख्या तक पहुंचा जा रहा है।

  उदाहरण: जहां बाल विवाह अधिक संख्या में हो रहे है, ऐसे कितने गाँव का अच्छादन किया गया है, कितने किशोर/किशोरियों और उनके माता–पिता को बाल विवाह के कारण और उनके दुष्परिणाम के बारे में संवेदनशील बनाया गया है।

- **गुणवत्ता की निगरानी:** यह सुनिश्चित करना कि सही लक्षित समुदाय से संवाद किया जा रहा है, दिए जाने वाले संदेश मौजूदा परिस्थिति और लक्षित समूह के लिए प्रासंगिक है, और वह संदेश और मिलने वाली सेवाओं से संतुष्ट है।

  उदाहरण: क्या अधिक जोखिम वाले बच्चे, परिवार, बाल विवाह का अधिक प्रमाण वाले गाँव, समुदाय के प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति और प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तक, एस.बी.सी..सी. हस्तक्षेप के दौरान पहुंचा गया है। क्या उन्हें तैयार किया जा रहा है कि वे संवाद और जुड़ाव के माध्यम से बाल विवाह का स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक खुशहाली, और किशोरों की प्रौढ़ जिन्दगी पर होने वाले परिणामों के संबंध में सही संदेश दे पाने में सक्षम बन सकें, और क्या वे संतुष्ट हैं जिन तक एस.बी.सी.सी. गतिविधियों के साथ पहुंचा गया है।

- **प्रक्रिया की निगरानी:** यह सुनिश्चित करना कि सेवा प्रदाताओं की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, वह

अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार की मार्गदर्शिका का अनुसरण कर रहे है, और लक्षित समूहों की सोच में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने और उसे कायम रखने के लिए फॉलो–अप तंत्र मौजूद है।

उदाहरणः जिन फैसिलिटेटरों को *तारुण्य* पैकेज पर प्रशिक्षित किया गया है, क्या वह बाल विवाह पर अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार के लिए सही प्रक्रिया अपना रहे है? क्या वह माता–पिता, किशोर/किशोरी, प्रमुख प्रभावशाली व्यक्तियों को बाल विवाह को नकारने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

- **प्रभावशीलता की निगरानीः** यह जांचना कि क्या लोगों को संदेश समझ में आ रहे है, कितने लोगों में बदलाव शुरू हो गया है, कितने लोगों ने बदलाव को बरकरार रखा है और सहायक सेवाओं का उपयोग कर रहे है।

उदाहरणः किशोर/किशोरी, माता–पिता, और परिवार के लोग का अनुपात, जो बाल विवाह के कारणों और परिणामों के बारे में जानते हैं, ऐसे कितने लोगों ने बाल विवाह को नकारा है, ऐसे कितने किशोर/किशोरी हैं जिन्होंने जबरदस्ती विवाह करने की स्थिति में सहायता की मांग की।

चित्रः 18

संकेतक और निगरानी के तरीके

निगरानी के लिए संकेतकों के कुछ नमूने

संकेतक	तरीके
किशोर/किशोरी • प्रतिशत किशोर–किशोरियां जो शिक्षा के अधिकार सहित अपने अधिकारों तथा हकों को जानते हैं। • प्रतिशत वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जागरूकता में। • प्रतिशत किशोर–किशोरियां, जो मानते हैं कि कानूनी उम्र से पहले शादी करना हानिकारक है। • प्रतिशत किशोर–किशोरियां, जिन्होंने तरुण पैकेज के माध्यम से किशोरों के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की है। • प्रतिशत किशोर–किशोरियां, जो लड़कियों और लड़कों के खिलाफ हिंसा को अस्वीकार करते हैं। • प्रतिशत किशोर–किशोरियां, जो यह समझते हैं कि उनके समुदाय में बाल विवाह, हिंसा और मौजूदा भेदभाव कम हो रहे हैं।	ज्ञान, मनोवृति, और अभ्यास (केएपी) सर्वेक्षण, साक्षात्कार, स्व–रिपोर्ट प्रश्नावली, अवलोकन और केन्द्रित समूह चर्चा (एफजीडी) या इनका कोई मिश्रण रजिस्टरों, उपस्थिति रिकॉर्ड और एमआईएस जैसे द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों की समीक्षा करना।
माता-पिता • किशोर–किशोरियां के माता–पिता का प्रतिशत – जो हिंसा, भेदभाव और बाल विवाह के संबंध में अस्वीकृति व्यक्त करते हैं। • किशोर–किशोरियां के माता–पिता का प्रतिशत, जो बाल विवाह, भेदभाव और हिंसा के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानते हैं। • किशोर–किशोरियां के माता–पिता का प्रतिशत, जिन्होंने किशोरों के संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गतिविधियों (वार्ता, चर्चा और परामर्श) में हिस्सा लिया है। • किशोर–किशोरियां के माता–पिता का प्रतिशत, जो किशोरों को सुरक्षा और कल्याण के लिए सूचना और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सहायता देते हैं।	ज्ञान, मनोवृत्ति तथा अभ्यास पर सर्वेक्षण, साक्षात्कार, केन्द्रित समूह चर्चा (एफजीडी) और अवलोकन

संकेतक	तरीके
सेवा प्रदाता • किशोर–किशोरियां का प्रतिशत, जिन्हें पोषण (संतुलित आहार, आहार विविधता) की जानकारी है। • किशोर–किशोरियां का प्रतिशत (10–19 वर्ष), जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम तीन पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की हैं (एनीमिया नियंत्रण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य)	द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों की समीक्षा, सेवा प्रदाताओं द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड और एमआईएस
ग्राम कार्यकर्ता और किशोर समूह • किशोर हम–उम्र शिक्षकों का प्रतिशत, जिन्होंने अधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार को रोका है। • किशोर–किशोरियां की संख्या, जो समूहों के सदस्य हैं (जीवन कौशल, सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य आदि के मुद्दों को संबोधित करते हुए) • समूहों के किशोर–किशोरी सदस्यों का प्रतिशत, जो आत्म–प्रभावकारिता की बढ़ी हुई भावना महसूस करते हैं जिनमें अधिक आत्मविश्वास आ गया हो; बिना किसी डर के बोलने में सहज महसूस करें, जो निर्णय लेने में सहज महसूस करते हैं। • समूहों के किशोर–किशोरी सदस्यों का प्रतिशत, जो विशिष्ट जीवन कौशल कार्यक्रमों में भाग लेते है। • ऐसे समूहों के सदस्यों का प्रतिशत, जो स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने और स्वयं को HIV/AIDS से बचाए रखना जानते हैं। • किशोर–किशोरियां के माता–पिता का प्रतिशत, जो किशोर लड़कों और लड़कियों के साथ अंतर–संवाद में भाग लेने वाले समूहों के सदस्य है। • फ्रंटलाइन प्रशिक्षित कार्यकर्ता, जो जानते हैं कि प्रासंगिक सेवाओं के मामलों को कैसे रेफर किया जाए।	केएपी सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, द्वितीयक स्रोतों से डेटा की समीक्षा जैसे कि ग्राम कार्यकारियों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड, सदस्यता रिकॉर्ड, उपस्थिति रिकॉर्ड और स्कूल रिकॉर्ड

याद रखने योग्य बातें

- निगरानी को कार्यक्रम की योजना में शामिल करें।
- पूरी परियोजना के दौरान इसे जारी रखें।
- निगरानी सूचकांक परियोजना के आउटपुट और परिणामों के अनुसार बनायें।
- निगरानी के लिए भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट तौर से निर्धारित करें।
- परियोजना को लागू करने के दौरान कमियों को दूर करने (मिड–कोर्स करेक्शन) के लिए जानकारी का विश्लेषण करना, चर्चा करना और समय पर रिपोर्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है।

संलग्नक: आधा फुल वीडियो देखने के बाद वैचारिक बदलाव का अनुश्रवण करने हेतु प्रश्नावली

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
कहानी 1– विवाह का षड़यन्त्र					
विवाह के लिए स्कूल की पढ़ाई छोड़ना ठीक है।					
18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करना ठीक है।					
लड़कियों को शादी करके घर देखना है इसलिए पढ़ाई जारी रखने की जरूरत नहीं है।					
अगर रिश्ता अच्छा मिले तो लड़के–लड़कियों को कम उम्र में भी विवाह कर लेना चाहिए।					
हमें अपने माता–पिता से बातचीत करने के लिए सक्षम बनना होगा भले ही वे पढ़ाई जारी रखने के लिए राज़ी न हों।					
कहानी 2– वन में भ्रमण					
लड़के और लड़कियों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवहारों में अंतर रहना जरूरी है, जैसे– मोबाइल फोन का इस्तेमाल, लड़कियों का सिर ढ़कना, लड़कों का मोटरसाइकिल चलाना					
लड़कियां जब अकेले दिखें तो लड़कों द्वारा उन्हें सताना ठीक है					
अगर किसी सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल जाते समय रास्ते में, सड़क पर, बस स्टैण्ड पर, बस में आदि अगर किसी लड़की को सताया जा रहा है तो यह ठीक ही है।					
लड़कियों को अपने उत्पीड़न के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए।					
लड़कियां अपनी वेश–भूषा , चाल–ढाल और बातचीत के तरीके से उत्पीड़न को न्योता देती हैं।					

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
कहानी 3– तेजू एक्सप्रेस					
लड़कियों की जिम्मेदारी है खाना बनाना और घर की देखभाल करना, इसलिए उन्हें खेलकूद में भाग नहीं लेना चाहिए।					
जो हम खाते हैं, वह भले ही स्वास्थप्रद न हो किन्तु उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए।					
अगर हम दिन में 3 बार नहीं खाते हैं तो भी कोई बात नहीं।					
जब परिवार के सभी लोग खाना खा लें उसके बाद महिलाओं तथा लड़कियों को भोजन करना चाहिए।					
स्वस्थ रहने के लिए लड़कों और लड़कियों को अलग–अलग आहार की जरूरत है।					
कहानी 4– मैं उड़ना चाहती हूं					
लड़कियों को इधर उधर भाग–दौड़ नहीं करनी चाहिए। मोटरसाइकिल चलाना, फुटबाल खेलना, मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज रखना चाहिए					
लड़कियों को लड़कियों की तरह व्यवहार करना चाहिए					
लड़के और लड़कियों के लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि वे जो करना चाहते हैं जैसे मोबाइल का इस्तेमाल, स्कूटर चलाना, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज जाना आदि के लिए, उन्हें अपने माता–पिता को सहमत करने के लिए, उनका अपने माता–पिता से बातचीत करना जरूरी है।					
लड़के और लड़कियों को एक समान अवसर नहीं मिलना चाहिए					
माता–पिता लड़कियों के लिए एक अच्छा जोड़ा पाना चाहते हैं किन्तु लड़कों के लिए उनकी ऐसी कोई आकांक्षा/अपेक्षा नहीं होती।					

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
कहानी 5– काले कारनामे					
अगर कोई लड़की उत्पीड़ित होती है तो उसे किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए।					
अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है तो यह उसकी गलती है और इसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए।					
अगर कोई आपको छूता है या बल प्रयोग करता है तो इसे खामोशी से सहना ही ठीक है।					
लड़के उत्पीड़न झेलते हैं और खामोश रहते हैं क्योंकि वह इस बात के लिए शर्मिन्दा होते हैं कि पुरूषों को इस बारे में बात नहीं करना चाहिए।					
छोड़छाड़ या यौन उत्पीड़न के बारे में किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करने के लिए सक्षम बनना।					
कहानी 6– मुझे धनराशि दिखाओ					
लड़कों को पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट लाना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए।					
लड़कों को प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और प्रसिद्ध होना चाहिए।					
डराने या दबाव बनाने के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए।					
मजबूत या पुरूषार्थी दिखने के लिए आपको आक्रामक और उग्र होना चाहिए।					
परिवार की आलोचना से बचने के लिए परिवार के दबाव के प्रति अपनी व्यग्रता तथा चिन्ता को छुपा कर रहना चाहिए।					

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
कहानी 7– बालिका दुल्हन					
जो कार्य लड़कों के करने के लिए हैं वह कार्य करने पर लड़कियों की शादी की संभावना कम हो जाती है।					
लड़के बाहर जाकर मस्ती कर सकते हैं लेकिन लड़कियों को घर पर रहकर घर के काम करने चाहिए।					
विवाह और स्वतंत्रता एक ही समान है।					
दूसरे व्यक्ति के साथ उग्र व्यवहार करना और उसे नियंत्रण में रखना ठीक है।					
शादी करके एक बिगड़े और गैर–जिम्मेदार व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बदला जा सकता है।					
माता–पिता को अपनी लड़कियों और लड़कों की परवरिश हर तरह की समानता के साथ करनी चाहिए					
कहानी 8– परीक्षा का भूत					
आपको गंभीरता से पढ़ाई में लगाने के लिए परीक्षा जरूरी है।					
अगर आपने परीक्षा में अच्छा नतीजा प्राप्त नहीं किया तो यहीं संसार का अंत हो जाता है।					
आप स्कूल में बुरा नतीजा लाने के बावजूद जीवन में अच्छा कर सकते हैं।					
समाज में स्कूल या अध्यापक/अध्यापिका या परिवार या अन्य लोगों के द्वारा आप पढ़ाई के लिए दबाव महसूस करते हैं और आपके बारे में राय बनायी जाती है।					
माता–पिता अच्छे अंकों के लिए दबाव बनाते हैं।					

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
कहानी 9– सम्मान का मामला					
सभी लड़के–लड़कियों में केवल रूमानी संबन्ध होते हैं।					
लड़कियों और महिलाओं को अपनी पसन्द और अभिलाषाओं के साथ एक व्यक्ति का दर्जा नहीं मिलता।					
सभी भाईयों को अपनी बहनों पर नियंत्रण रखना चाहिए।					
पारिवारिक सम्मान की धारणा लड़के और लड़कियों पर एक बड़ा बोझ है।					
जो माता–पिता अपनी लड़कियों को अनुशासित बनाने पर केन्द्रित होते हैं, वे यह नहीं देखते कि लड़के कैसे हैं।					
कहानी 10– अपहृत					
माहवारी एक सामान्य प्रक्रिया है और सभी लड़कियों को होती है।					
बच्चों का स्कूल छुड़ा कर उन्हें काम करने के लिए भेजना ठीक है।					
लड़कियों और महिलाओं की माहवारी को सामान्य घटना बनाने में लड़कों की भूमिका होती है।					
सभी बच्चों को खेलने, भागीदारी करने और शिक्षित होने का अधिकार है।					
माता–पिता को अपनी बेटियों के साथ माहवारी के बारे में बात करनी चाहिए ताकि वे इसके लिए तैयार हो जाएं और डरें नहीं।					
अगर परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं है तो बच्चों से मजदूरी कराना ठीक है।					

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
कहानी 11– घर–घर की कहानी					
असली मर्द सिद्ध करने के लिए पत्नी को पीटना भी एक तरीका है।					
महिलाओं को बच्चों, शादी, घर और परिवार की खातिर हिंसा को सहन जरूर करना चाहिए।					
घर पर हिंसा या तो आप को निराश करेगा या एक धौंस जमाने वाला बताएगा।					
कमजोर व्यक्ति जो स्वयं को बचाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ हिंसा अपनी शक्ति दिखाने का तरीका है।					
अगर आप हिंसा होते हुए देखें तो बोलें और उसे रोकें।					
अगर घर में हिंसा होती है तो शान्तिपूर्वक सहन करें, किसी से कुछ न कहें और अपने तरीके से उसे सुलझाएं।					
आर्थिक रूप से स्वतंत्रता आपको हिंसा के खिलाफ खड़े होने की ताकत देती है।					
कहानी 12– डांस और ढिशुम					
परम्परागत भूमिकाओं को तोड़ना आपके लिए ठीक है।					
लोगों को इस बात के लिए संवाद और प्रभावित करना कि वे जीवन में जो करना चाहते हैं उसके लिए ज्यादा कठोर न हों, बहुत ही महत्वपूर्ण है।					
परिवार एक ऐसा स्थान है जहां आपको समझा जाता है, देखभाल होती है और सहयोग मिलता है।					
असहमति को बातचीत, सम्मान और अस्वीकृति के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है।					

Contd...

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
माता–पिता की अपेक्षाओं के कारण आप अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाने के लिए दबाव में आ जाते हैं और आपका दम घुटता है।					
बातचीत से एक दूसरे को समझने में तथा यह जानने में मदद मिलती है कि आपको क्या खुश करता है।					
कहानी 13– नकल उतारना					
अनुचित बातों को देखकर भी उसके खिलाफ न बोलना ठीक है।					
गंभीर बीमारी के अलावा स्कूल छूटने से आप अपनी स्कूल की पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं।					
पूरी पढ़ाई करने पर आप अपने कार्य में अधिक कुशल हो सकते हैं।					
आप पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरों को सहमत कर सकते हैं।					
बच्चों को जीवन में जल्दी कमाने की जिम्मेदारी देने से उनकी पढ़ाई छूट जाती है और वे दुःख महसूस करते हैं।					
कहानी 14– अगर केवल मैं हीरो होता					
छेड़खानी करना नुकसानदेह है और क्रूरता है।					
यह ठीक है कि कोई आपके समान नहीं है बल्कि भिन्न है।					
अपनी कमजोरी को स्वीकारना और अपनी क्षमताओं पर केन्द्रित होना महत्वपूर्ण है।					

Contd...

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके साथ दोस्ताना बर्ताव रखने से, वह अपने को अलग–थलग महसूस नहीं करेगा।					
माता–पिता को अपने बच्चों के साथ उन विषयों पर बातचीत करनी चाहिए जिनमें वे अच्छे हैं, उन्हें ढ़ाढस देना चाहिए और उनकी तकलीफों को समझना चाहिए।					
कहानी 15– खुशी–खुशी विवाह					
युवाओं को अपना निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए।					
थोपे गए निर्णय व्यक्ति को क्रोधी, असहज तथा तनावग्रस्त बनाते हैं					
आप अपने माता–पिता को इस बात के लिए सहमत कर सकते हैं कि वे आप पर अपने निर्णय न थोपें।					
शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखना व्यावहारिक है।					
अगर आपको मौंका दिया जाए तो क्या आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जीवन में कुछ अलग कर सकते हैं।					
कहानी 16– नहीं मतलब नहीं					
संबन्ध वाले व्यक्ति के साथ बिना उसकी सहमति के जबरदस्ती करना उचित है।					
पीछा करने का जुनून, अनचाहे ध्यान आकृष्ट करना एक आपराधिक कृत्य है।					
अगर संबंध में कोई नहीं कहता है तो यह ठीक है।					
किसी को असुरक्षित महसूस कराना ठीक है।					
लड़कों को सहमति के महत्व को तथा प्यार, जबरदस्ती और नियंत्रण के अन्तर को जरूर समझना चाहिए।					

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
कहानी 17– घर की सच्चाई					
बिना सहमति के किसी को छूना ठीक है।					
अगर आपके साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है तो आपको चुप रहना चाहिए।					
यौन दुर्व्यवहार केवल लड़कियों के साथ होता है।					
कोई भी व्यवहार जो सामान्य नहीं है वह संभावित दुर्व्यवहार हो सकता है।					
दर्दनाक अनुभवों से उबरने के लिए परामर्श से मदद मिल सकती है।					
कहानी 18– बराबर है					
जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना सही है।					
भेदभाव से लड़ने के बजाए उसे चुपचाप सहना अच्छा है।					
भेदभाव के विरूद्ध सामूहिक रूप से कार्य करना सामाजिक बदलाव के लिए जरूरी है।					
जाति, लिंग, धर्म के अलग–अलग होने के बावजूद सभी इंसान बराबर हैं।					
जो लोग बराबरी के लिए खड़े होते हैं उन्हें पुरस्कृत करना जरूरी नहीं है।					

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
कहानी 19– रहस्यपूर्ण खेल					
जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें अपमानित करना चाहिए।					
अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करना ठीक ही है।					
बच्चों के स्कूल में पाए अंकों के आधार पर उनके बारे में राय बनानी चाहिए।					
माता–पिता को बच्चों को स्वयं साबित करने के लिए अवसर देकर उनकी सहायता करनी चाहिए।					
आपके माता–पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं यह कोई मायने नहीं रखता।					
कहानी 20– मैं सुन्दर हूं					
इस बात पर ध्यान दें कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं।					
दूसरों को धमकाने के लिए साईबर स्पेस का इस्तेमाल करना ठीक है					
आपकी चमड़ी का रंग आपकी परिभाषा नहीं देता।					
सोशल मीडिया साईट्स पर सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है।					
बच्चों की आलोचना करने से वे अपना संतुलन और आत्मविश्वास खो देते हैं जिसके कारण वे साईबर छेड़छाड़ के आसान शिकार बन जाते हैं।					
कहानी 21– बजरंग कठिनाई में					
समाज में लड़कियां उतनी ही सक्षम हैं जितने लड़के हैं।					
चाहे लिंग जो भी हो आपको रुकावटों को सुलझाने के लिए निर्भीक और संसाधन युक्त बनना होगा।					

Contd...

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
लड़कियां कमजोर होती हैं और घर के बाहर की भूमिका नहीं निभा सकती हैं					
हमारे समाज में लड़के तथा लड़कियों का पालन पोषण अलग–अलग तरीके से किया जाता है।					
माता–पिता को लिंग के दायरे से बाहर निकलकर अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए।					
कहानी 22– मेरा जीवन मेरी पसन्द					
परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं बल्कि दंपत्ति को यह निर्णय लेना चाहिए कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है।					
अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास तब भी करना चाहिए जब परिवार उसके लिए सहमत न हो।					
लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने और कैरियर का लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है।					
बच्चों को चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए।					
माता–पिता को अपने बच्चों से उन निर्णयों पर बात करनी चाहिए जिन पर वे बच्चों की राय लेना चाहते हैं।					
कहानी 23– वह कौन थी					
लड़की की शादी हो जाने के बाद उसका अपने घर पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है।					
महिला को अपने पति के घर में हिंसा झेलने के बाद भी कोई विकल्प नहीं रह जाता है।					
महिला के विरूद्ध हिंसा या अपराध देखने के बाद भी चुप रहना ही ठीक है।					

Contd...

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
पिता के शुक्राणु से गर्भ के शिशु का लिंग निर्धारित होता है।					
सामाजिक दबाव, कलंक और आरोप के डर से लोग अपनी बेटियों को घरेलू हिंसा झेलने देते हैं।					
कहानी 24– मुकुट में जवाहरात					
खेल में लड़कों से हारना ठीक है लेकिन लड़कियों से हारना शर्मनाक है।					
जीवन भर लड़कियों पर हावी रहने के लिए लड़के प्रशिक्षित होते हैं।					
लड़कियां जो बनना चाहती हैं उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।					
माता–पिता को लड़कियों को शिक्षित होने और विवाह से पहले अपना कैरियर बनाने में सहयोग देना चाहिए।					
अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में माता की भी बराबर की महत्वपूर्ण भूमिका है।					
कहानी 25– सीमा रेखा पार न करना					
हर प्रकार की चुनौती में शामिल होना चाहिए, भले ही वह आपकी ऊर्जा की बर्बादी हो।					
लड़कियों को यह साबित करना पड़ेगा कि वह उतनी ही अच्छी हैं जितने लड़के हैं।					
लड़कों को स्वयं को लड़का साबित करने के लिए और अन्य लड़कों के सामने अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए हमेशा दबाव का सामना करना पड़ता है।					

Contd...

कथन	पूरी तरह असहमत	असहमत	पता नहीं	सहमत	पूरी तरह सहमत
पुरुषों को महिलाओं के लिए सीमा रेखा निर्धारित करना चाहिए।					
सभी महिलाओं तथा लड़कियों को एक व्यक्ति के रूप में सम्मान मिलना चाहिए जहां हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण न हो।					
कहानी 26– सब अच्छा है जब अंत अच्छा हो					
समानता के लिए तथा अपने शर्तों पर जीवन बिताने के लिए लड़ना उचित है।					
सत्ता चाहने वाले लड़के हमेशा लड़कियों के विकास और उत्कृष्टता को सीमित करने का रास्ता निकाल लेंगे।					
जो लोग स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं वे परिपक्वता दिखाते हैं और स्वयं के लिए सच्चे हैं।					
कुछ लोग नए विचारों को स्वीकार करते हैं जबकि दूसरे लोग सामाजिक बदलाव के विचारों पर कार्य करते हैं।					
कम प्रतिरोध पर अधिक लोगों द्वारा स्वीकृत, विचार को नया सामाजिक मापदण्ड कहा जाता है।					